सत्यमेव जयते

वर्ल्ड ऑफ वर्क सीरिज

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

व्यवसाय अध्ययन केन्द्र

केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
पूसा, नई दिल्ली-110012

CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH & TRAINING IN EMPLOYMENT SERVICE

सत्यमेव जयते

वर्ल्ड ऑफ वर्क सीरीज

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

व्यवसाय अध्ययन केन्द्र
केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान (डी.जी.ई. एण्ड टी.)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
पूसा, नई दिल्ली-110 012

आभार

हम निम्न व्यक्तियों के सहयोग एवं सहायता के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं :

1. श्री आर. नरसिम्हम,
   उप निदेशक, रोजगार कार्यालय,
   रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
   श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली–110 001

2. शारीरिक विकलांग संस्थान,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
   भारत सरकार, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग,
   नई दिल्ली–110 002

परियोजना दल

मार्गदर्शन	:	श्री एस. के. गुप्ता, निदेशक
पर्यवेक्षण	:	श्री आर. बी. जहागिरदार, उप निदेशक
प्रस्तुति एवं संकलन	:	श्री एस. एल. विरहा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
सचिवालयी सहायक	:	श्रीमती प्रीति शर्मा, हिन्दी टंकण
प्रूफ रीडिंग	:	श्री आर. के. अग्निहोत्री, प्रूफ रीडर
	:	श्रीमती अनिता चानन, प्रूफ रीडर

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		V
अध्याय 1.	कानूनी/विधिक सहायता	1
अध्याय 2.	विकलांगता के मुख्य प्रकार एवं परिभाषाएं	8
अध्याय 3.	राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान	10
अध्याय 4.	पुनर्वास एवं मार्गदर्शन सेवा नेटवर्क	20
अध्याय 5.	विकलांगों के लिए रियायतें	31
अध्याय 6.	ऋण एवं वित्तीय सहायता द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा	33
अध्याय 7.	विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रम	41

परिशिष्ट

		पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट 'क'	विकलांग व्यक्तियों के विशेष रोजगार कार्यालयों एवं विशेष प्रकोष्ठों की सूची	59
परिशिष्ट 'ख'	विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय जिला, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	61
परिशिष्ट 'ग'	जिला पुनर्वास केन्द्रों की सूची	63
परिशिष्ट 'घ'	शारीरिक विकलांगों के विशेष रोजगार कार्यालयों के पतों की सूची (राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, सरकार के अधीन कार्यरत)	69

प्रस्तावना

विकलांग व्यक्ति, जो हमारी जनसंख्या के महत्वपूर्ण अंग है, की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। परन्तु व्यवहार में समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों के कारण ऐसी मान्यता है कि

1. विकलांग व्यक्ति स्वयं नहीं कमा सकते तथा अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तथा

2. परिवार में विकलांग व्यक्तियों का जन्म उनके माता पिता द्वारा उनके पिछले जन्म या जीवन आदि में किए गए बुरे कार्यों के कारण होता हैं। अत: उन्हें लाभकर रोजगार में लगाने से पूर्व कठोर प्रतिरोध का सामना करना होगा।

1991 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा देश भर में कराए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 1.6 करोड़ (16 मिलियन) व्यक्ति दृष्टि/वाक/श्रवण लोकोमोटर विकलांगताओं से पीड़ित हैं।

विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें पुनर्वासित करने के साथ राष्ट्रीय जीवन में सहयोग देने के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहल की गई हैं। पुर्नवास शब्द में सब कुछ समाहित है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें चिकित्सा या शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, प्रशिक्षण, जाब देना तथा अनुसंधान, जो चिकित्सा एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है, के नए परिणाम पर आधारित मूल्यांकन शामिल है।

सर्वेक्षण, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, कृत्रिम, अंग लगाना सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि का प्रयोग जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। पुनर्वास प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। दूसरे शब्दों में पुनर्वास चिकित्सा एवं सामाजिक विज्ञान के संसाधनों के प्रति चुनौती है जिसे समाज के सभी वर्गों द्वारा संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व को पूरा करना है तथा बांटना है।

भारत में पुनर्वास कार्यक्रमों के मार्ग में आई चुनौतियों में से एक है। उपलब्ध अधिकतम विकलांग व्यक्तियों को न्यूनतम लागत पर प्रभावी सेवा कैसे दी जाए।

अत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनेक संस्थान आरम्भ किए हैं जो विकलांगता के सम्बधित क्षेत्रों में प्रीमियर एपेक्स स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान शिक्षा, जनशक्ति विकास, अनुसंधान प्रशिक्षण, उपयुक्त सेवा माडलों का विकास के क्षेत्रों

में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही हैं तथा विकलांग व्यक्तियों को निम्न लागत पर पुनर्वास सामग्री एवं उपकरण भी उपलब्ध कराती रही हैं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण, महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि कार्य के प्रति उनकी अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन हो सके तदनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके तथा लाभकर रोजगार में उन्हें लगाने का कार्य पूरा हो सके। 19 राज्यों में अब 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक, जो वडौदरा में स्थित है, केवल विकलांग महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अधिकांश राज्य सरकारों ने विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने परामर्श देने सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार देने में सहायता देने के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रोजगार कार्यालयों में इसी कार्य के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन करके उन्हें मजबूत किया है। देश में विभिन्न भागों में कार्य कर रहे विशेष रोजगार कार्यालयों एवं विशेष प्रकोष्ठों की सूची परिशिष्ट-'क' में संलग्न है।

इस पुस्तक में सात अध्याय हैं। जिनमें विधिक सहायता, विकलांग की परिभाषा, विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं, विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रम से सम्बन्धित जानकारी है। यह आशा की जाती है कि यह पुस्तक विकलांग व्यक्तियों की अपेक्षाओं को भी पूरी करेगी तथा उनकी आवश्यकताओं को भी पूरी करेगी जो पुनर्वास क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं।

अध्याय-1

कानूनी/विधिक सहायता

विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं संपूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995

विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं संपूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995, 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ। यह कानून एक महत्वपूर्ण घटना है तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सम्पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिनियम शिक्षा रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान एवं जनशक्ति का विकास, किसी भी प्रकार का रुकावट रहित पर्यावरण, विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना तथा गम्भीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घरों का निर्माण आदि जैसे पुनर्वास के निरोधक एवं संस्थापन पहलुओं की व्यवस्था करता है।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

- विकलांगता का जल्दी पता लगाना एवं निवारण
- शिक्षा
- रोजगार
- निष्पक्षता
- अनुसंधान एवं जनशक्ति
- सकारात्मक कार्यवाही
- सामाजिक सुरक्षा
- शिकायत निवारण

विकलांगताओं का जल्दी पता लगाना एवं निवारण

— विकलांग होने के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण, अन्वेपण एवं अनुसंधान किया जाएगा।

— विकलांगता निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इस कार्य में सहायता देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

— जोखिम वाले मामलों के लिए वर्ष में एक बार सभी बच्चों को स्क्रीन किया जाएगा।

— जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे तथा जानकारी के प्रसार के लिए प्रायोजित किए जाएंगे।

— माता एवं बच्चों की प्रसव-पूर्व जन्म-पूर्व एवं प्रसव के बाद की जाने वाली देखभाल के लिए उपाए किए जाएंगे।

निशुल्क शिक्षा का अधिकार

प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक समाकलित स्कूलों विशेप स्कूलों में एवं निशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है।

विकलांग बच्चों के हित के लिए उपयुक्त परिवहन, वास्तु-शिल्पीय अवरोधों का हटाना एवं पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना एवं परीक्षा प्रणाली में संशोधन सुनिश्चित किया जाएगा।

विकलांग बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, वृतिका, वर्दी एवं अन्य पाठ्यक्रम सामग्री पाने का अधिकार होगा।

विकलांग बच्चों के विशेप स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

अपेक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों के माता-पिता अपने वच्चों के नियोजन सम्बन्धी शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों (फोरा) के पास जा सकते हैं।

रोजगार

सरकारी रोजगार में 3% रिक्तियां अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी, निम्नलिखित विकलांगता से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1% आरक्षण होगा

—अन्धापन या कम दिखाई देना

—श्रवण क्षति

—लोकोमोटर विकलांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात

निम्नलिखित के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई जाएगी।

—विकलांग व्यक्तियों का प्रशिक्षण एवं कल्याण

—ऊपरी आयु सीमा में छूट

—रोजगार विनियम

—ऐसे स्थानों पर जहां विकलांग व्यक्ति कार्यरत है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय करना तथा विकलांगता निरोधी वातावरण सृजित करना।

—सरकारी शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकार से अनुदान पाने वाली अन्य शैक्षिक संस्थाओं में कम से कम 3% सीट विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी।

—सभी गरीबी निवारण योजनाओं में कम से कम 3% लाभ विकलांगता वाले व्यक्ति को दिया जाएगा।

सेवा के दौरान विकलांग हुए किसी कर्मचारी को न तो निकाला जा सकता है और न ही पदावनत किया जा सकता है परन्तु उन्हें समान वेतन एवं स्थिति वाले अन्य पद पर लगाया जा सकता है। क्षति के कारण किसी पदोन्नति से इंकार नहीं किया जा सकता ।

सकारात्मक कार्यवाही

विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की जाएगी।

—आवास

—कारोबार

—विशेष मनोरंजन केन्द्र

—विशेष स्कूल

—अनुसंधान स्कूल

—विकलांग ठेकेदारों द्वारा लगाई जाने वाली फैक्टरियों के लिए

निष्पक्षता

विकलांग व्यक्ति को सुविधा देने के लिए सरकारी भवन, रेल कक्ष, बस, समुद्री जहाज एवं वायुयानों को डिजाइन किया जाएगा।

सभी सार्वजनिक स्थानों एवं प्रतिक्षालयों में व्हील चेयर की सहायता से शौचालय तक पहुंचना आसान बनाया जाएगा। लिफ्टों में घंटी एवं ध्वनि संकेत भी लगाए जाएंगे।

सार्वजनिक उपयोगिता वाले सभी स्थानों को रैम्प लगाकर अवरोध मुक्त बनाया जाएगा।

अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास

निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रायोजित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा :

विकलांगता का निवारण

सी.बी.आर. समेत पुनर्वास

सहायक युक्तियों का विकास

जॉब निर्धारण

कार्यालयों एवं फैक्टरियों का साइट पर संशोधन

विश्वविद्यालयों, उच्च ज्ञान की अन्य संस्थाओं, व्यावसायिक निकायों एवं गैर सरकारी अनुसंधान इकाइयों या संस्थाओं को विशेष शिक्षा, पुनर्वास एवं जनशक्ति विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

साभाजिक सुरक्षा

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

विकलांग सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए बीमा सुविधा (कवरेज)

एक वर्ष से अधिक समय तक विशेष रोजगार कार्यालय में पंजीकृत विकलांग व्यक्ति, जिन्हें किसी लाभकर व्यवसाय में नहीं लगाया जा सका, के लिए बेरोजगारी भत्ता।

शिकायत निवारण

अधिनियम में उल्लेखित अधिकारों के उल्लंघन होने पर अशक्त व्यक्ति निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

केन्द्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त

मुख्य आयुक्त का पता :

विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित मुख्य आयुक्त का कार्यालय
मार्फत भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
जी-31, सैक्टर-39, नोएडा (यू.पी.)
दूरभाष सं. 9, 14500282
वैवसाइट www.nic.in/ccdisabilities
www.nic.indiaimageorganisationccd

मुख्य आयुक्त के प्रकार्य

मुख्य आयुक्त निम्नलिखित प्रकार्य करेगा

(क) आयुक्तों के कार्य को समन्वित करना।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मॉनीटर करना।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एवं सुविधाओं को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाना।

(घ) केन्द्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धित रिपोर्ट, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर प्रस्तुत करना।

धारा 58 के उपबन्ध के प्रति पूर्वाग्रह न रखते हुए मुख्य आयुक्त किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अपना प्रावेदन कर सकता है या निम्नलिखित विषयों सम्बन्धी मामलों की शिकायतों की जांच-पड़ताल कर सकता है।

विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करना।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए या जारी विधियों, नियमों, उपनियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों का अक्रियान्वयन तथा मुद्दे उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ विचार पर विमर्श करना।

आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक, पुर्नवास एवं बहु अशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यास ट्रस्ट

संसद के अधिनियम द्वारा 31 दिसम्बर, 1999 को राष्ट्रीय न्यास ट्रस्ट का गठन हुआ न्यास एवं सांविधिक निकाय है तथा यह प्रमुखत: आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक विक्षप्तता एवं बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के अधिकारों को बनाए रखते हैं, हितों को संरक्षित रखता है तथा उनके विकास को बढ़ावा देता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए न्यास ने कार्यक्रम बनाए हैं जो आजादी को बढ़ावा देते हैं, जहां आवश्यक हो वहां संरक्षण देते हैं, तथा उन विशेष व्यक्तियों के हितों की देखभाल करते हैं जिनका अपना कोई परिवार नहीं है। इसके साथ-साथ न्यास उनके अभिभावकों या संरक्षकों की मृत्यु के बाद भी उपर वर्णित चार वर्गों वाले व्यक्तियों के हितों का भी संरक्षण देता है।

न्यास को अनुदान, चन्दा, दान, वसीयतों, अंतरणों को प्राप्त करने का अधिकार है।

न्यास ने एक अम्बरेला योजना "आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक, पुर्नवास एवं बहु अशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहुंच (रीच) एवं राहत योजना" शुरू की है। योजना निम्न कार्य करती है।

(क) दीर्घकालीन/स्थायी निवास संस्था

(ख) दैनिक देखभाल/आराम केन्द्र

(i) देखभाल करने के लिए घर पर आने की प्रवृती को बढ़ावा

(ii) देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण

राष्ट्रीय न्यास ने विभिन्न राज्यों में सूचना केन्द्र भी स्थापित किए हैं जो जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसने अधिनियम को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया है तथा इन विकलांगताओं के निवारण तथा विकलांग व्यक्तियों की इन श्रेणियों के पुनर्वास सम्बन्धी सामग्री को प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करवाया है।

नेशनल ट्रस्ट न्यास के पास पहले 99 करोड़ का संग्रह है तथा यह अपने कार्यकलापों के निधियन के लिए इस संग्रह से अर्जित आय का प्रयोग करता है। इन्होंने जिला स्तर पर 250 से अधिक स्थानीय स्तर की समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न राज्यों में 12 सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। उन्होंने आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक, विक्षप्तता एवं बहु विकलांग व्यक्तियों के कार्य करने वाले स्वयं सेवी संघों को भी पंजीकृत किया है।

जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय न्यास, आई.पी.एच. परिसर,
4, विष्णु दिगम्बर मार्ग,
नई दिल्ली—110002

दूरभाष-3217411-13

फैक्स-3214714

e. mail. nationaltrust @red.02nic.in

अध्याय-2

विकलांगता के मुख्य प्रकार एवं परिभाषाएं

पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995 विकलांगता की अनेक प्रकारों समेत विभिन्न पहलूओं को परिभाषित करता है। ये इस प्रकार हैं :—

1. अन्धापन

अन्धेपन का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक का पीड़ित हो, नाम इस प्रकार है :—

1. दृष्टि का बिल्कुल न होना।
2. सुधारक लैंस लगाने पर उतम आंख की दृश्य तीक्ष्यता 6/60 या 20/20 (स्नेलन) से अधिक न होना।
3. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इसके अधिक या इससे कम पर अन्तरित है।

2. अल्प दृश्यता

'अल्प दृश्यता वाले व्यक्ति' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसकी दृश्यता उपचार या मानक अपवर्तन सुधार के बाद भी क्षीण हो परन्तु जो व्यक्ति उपयुक्त सहायक युक्ति की सहायता से कार्य का निष्पादन करने या उसकी योजना बनाने के निए दृश्यता का प्रयोग करता हो या संभावित दृश्यता का प्रयोग करने में सक्षम हो।

3. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

'प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात' का अर्थ व्यक्ति की निष्क्रिय अवस्थाओं के समूह से है जिसका प्रसव-पूर्व, प्रसव के निकट या विकास के शैशवा काल में दिमागी अपमान या चोट लगने के कारण अपसामान्य नियंत्रण मुद्रा द्वारा लक्षण वर्ण किया जाता है।

4. श्रवण शक्ति का क्षीण होना

'क्षीण श्रवण शक्ति' का अर्थ आवृतियों की संवाद विषयक रेंज में उतम कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल की क्षति होना है।

5.कुष्ठ निवारण

कुष्ठ निवारण व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके कुष्ठ रोग का निदान हो चुका है परन्तु निम्न विकृतियों से पीड़ित हैं।

क. हाथों एवं पैरों में संवेदन हीनता के साथ-साथ आंखों एवं आंखों की पलकों मे आंशिक घात परन्तु किसी विकृति का न होना।

ख. विकृति एवं अंशिक घात स्पष्ट दिखाई देना परन्तु सामान्य कार्यकलापों को करने में उनके हाथों एवं पैरों में पर्याप्त गतिशीलता का होना।

ग. गम्भीर शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती हुई आयु जो उसे कोई लाभकर व्यवसाय करने में अवरोध पैदा करती हो 'कुष्ठ निवारण' का तदानुसार अनुमान लगाया जाएगा।

घ. लोकोमोटर-लोकोमोटर अशक्तता का अर्थ हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की उस विकलांगता से है जिससे अंगों के संचालन में काफी अड़चन होती हो या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात।

ड़ मन्द बुद्धि—मन्द बुद्धि का अर्थ व्यक्ति के दिमाग के विकास की अवरूद्ध या अविकसित अवस्था से है जिसे विशेषतया बुद्धि की असामान्यता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

च. मानसिक—रूग्णता मानसिक रूग्णता का अर्थ मन्द बुद्धि के सिवाय अन्य किसी मानसिक गड़बडी से है विकलांग व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाणपत्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित हो।

'चिकित्सा प्राधिकारी' का अर्थ उस अस्पताल या संस्था से है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

पाँच प्रकार की मुख्य विकलांगताऐं हैं— दृष्टिहीनता, श्रवण विकलांगता, आर्थोपेडिकली विकलांग, नकारात्मक कुष्ठ रोग एवं कम मन्द बुद्धि। परन्तु रोजगार के लिए केवल दृष्टिहीनता, श्रवणहीनता एवं लोकोमोटर विकलांगता को शामिल किया गया है। जो रोगी कुष्ठ निवारण एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से सम्बद्ध है, को प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए लोकोमोटर विकलांगता के आधीन रखा गया है। 51 से 70 के बीच बुद्धि लब्धि वाले कम मन्द बुद्धि वाले रोगियों का व्यावसायों में वी.आर.सी. केन्द्रों द्वारा मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

अध्याय-3

राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान

सरकार ने विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख शीर्ष (प्रीमियर एपैक्स) स्तर के संगठनों के रूप में नीचे दिए गए चार राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

1. राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून।

2. राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान सिकन्दराबाद।

3. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, मुम्बई।

4. राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान, कोलकाता।

5. राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली।

6. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, (एन.आई.आर.टी.ए.आर.) कटक।

इन संस्थानों द्वारा अपनी अद्वितीयता के अनुसार प्रयोजनमूलक कार्यकलापों आदि के साथ जो विभिन्न सेवाएं दी जाती हैं, इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून

यह संस्थान निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :

क. जनशक्ति विकास प्रशिक्षणार्थियों एवं अध्यापकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक सलाहकारों आदि का प्रशिक्षण।

ख. अनुसंधान एवं विकास जैव-चिकित्सा/इंजीनियरिंग, सहायक सामग्रियों का मूल्यांकन, सर्जिकल/चिकित्सा प्रक्रियाएं, नई सहायक सामग्रियों का विकास।

ग. सेवा कार्यक्रम स्कूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नियोजन, अन्ध संस्थानों के लिए चिकित्सीय सहायता, विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थी, अभिविन्यास एवं संचलन, परामर्श सेवाएं, ग्रामीण पुनर्वास।

घ. उत्पादन इकाईयां ब्रेल उपकरणों का निर्माण, केन्द्रीय ब्रेल, मुद्रण विकलांग एवं आश्रित कार्यशाला के लिए राष्ट्रीय लाईब्रेरी।

ङ. प्रलेखन एवं सूचना प्रसार।

च. स्वयं सेवी संगठनों के साथ पारस्परिक मेल-जोल।

2. राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद

निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकलापों का निर्धारण किया गया है :

1. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए जनशक्ति का विकास करना।

2. भारतीय स्थितियों के अनुकूल मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की देखभाल एवं पुनर्वास के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।

3. मानसिक विक्षिप्तता संबंधी विषयों की पहचान करना, समन्वित एवं अनुसंधान करना।

4. मानसिक विकलांगता/विक्षिप्तता वाले क्षेत्र में स्वयं सेवी संगठनों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

5. मानसिक विक्षप्तता के क्षेत्र में प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।

6. देश में मानसिक विक्षिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण कारण, ग्रामीण-शहरी संयोजन, सामाजिक आर्थिक घटक आदि का मूल्यांकन करने के लिंए संगत आंकड़े अर्जित करना।

इसी उद्देश्य के अनुपालन के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान के तीन और प्रादेशिक केन्द्र हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की सेवा करते हैं। ये मुम्बई, कोलकाता एवं नई दिल्ली में स्थित है। इनकी सेवाएं जनशक्ति विकास का एक वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक डिग्री कोर्स एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला आदि के रूप में हैं।

3. अलीर यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, मुंबई

राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था।

क. जन शक्ति विकास :

1. बी.एड., बी.एस.सी., एवं डिप्लोमा जैसे दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनकी मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्धता हो।
2. अल्पकालीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
3. कान सांचा (ईअर मोल्ड) प्रशिक्षण।
4. अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स)।
5. कार्यशाला अभिविन्यास कार्यक्रम एवं सेमिनार।

ख. अनुसंधान आधारित सेवाओं में निम्न बातें शामिल हैं :

1. श्रवण मूल्यांकन।
2. श्रवण सहायक सामग्री अभ्यास प्रेसक्रिप्शन, फिट करना एवं मरम्मत।
3. वाणी एवं भाषा मूल्यांकन।
4. वाणी एवं भाषा चिकित्सा।
5. अभिभावक मार्गदर्शन एव विचार-विमर्श।
6. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन।
7. मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा।
8. शैक्षिक मूल्यांकन।
9. ई.एन.टी. बालचिकित्सा एवं तंत्रिका विज्ञान संबंधी मूल्यांकन।
10. आसूचना सेवाएं।
11. व्यावसायिक मार्गदर्शन, विचार-विमर्श एवं नियोजन।
12. आउट रिच एवं विस्तार सेवा।

इसके अतिरिक्त श्रवण विकलांगों की राष्ट्रीय संस्थान के तीन प्रादेशिक एवं तीन विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं जो इस प्रकार हैं :—

क. प्रादेशिक केन्द्र—1. कोलकाता 2. नई दिल्ली 3. हैदराबाद।

ख. विस्तार केन्द्र—1. भुवनेश्वर 2. बालाकोम, केरल तथा चेन्नई।

4. राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान कोलकाता

राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान विकलांगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम :

1. अल्पकालीन पाठ्यक्रम इस प्रकार है :

क. पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) एवं

ख. अभिविन्यास पाठ्यक्रम

ग. कार्यशालाएं एवं

घ. सेमिनार।

2. कोलोम्बो योजना आदि के अन्तर्गत विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

ख. निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पुनर्वास सेवाएं (मूल्यांकन) आयोजित की जाती है:

1. भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी)।
2. व्यावसायिक चिकित्सा।
3. पुन: स्थापन सर्जरी।
4. विकिरण विज्ञान संबंधी अन्वेषण।
5. जैव इंजीनियरिंग (फिटमैंट) सेवाएं।
6. व्यावसायिक परामर्श एवं सामाजिक सेवाएं।

7. मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं मार्गदर्शन।

8. रोगी सेवाओं में परामर्श सेवा एवं।

9. पोलियो उन्मूलन।

ग. निम्नलिखित के लिए विशेष सेवाएं आयांजित की जाती है :

1. पार्श्वकुब्जता क्लिनिक एवं।

2. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्लिनिक।

घ. लायब्रेरी एवं सूचना सेवा :

विकलांगों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दो और संस्थान है।

5. शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली :

संस्थान, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है, निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं सेवाएं प्रदान करता है :—

प्रशिक्षण

अ. विकलांगों के पुनर्वास में लगे भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

ब. विकलांगों को व्यापक पुनर्वास सेव्राएं प्रदान करता है।

स. विभिन्न सहायक सामग्रियों एवं उपकरण प्रदान करना।

द. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन करना।

सेवाएं

क. व्यावसायिक चिकित्सा (ओ.टी.)।

ख. भौतिक चिकित्सा (पी.टी.)।

ग. निर्धारण, मूल्यांकन एवं उपचार के लिए निर्धारण क्लिनिक।

घ. बाहरी क्षेत्रों के लिए पुनर्वास कैम्प।

ङ. विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए स्कीम।

च. संव्यावसायिक पुनर्वास इकाई।

छ. वाणी चिकित्सा।

ज. विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल।

झ. विशेष शिक्षा एवं परामर्श सेवा।

ण. प्रारम्भिक मध्यस्थता केन्द्र।

6. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , कटक :

केन्द्र निम्नलिखित सेवाएं एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

मानव संसाधन विकास के माध्यम से अल्पकालीन पाठ्यक्रम/सी एम ई कार्यक्रम संव्यावसायिकों/गैर सरकारी संगठनों को प्रेरित करने तथा उनकी समुदाय आधारित पुनर्वास सम्बन्धी जानकारी को अद्यतन करने के लिए संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में अल्प अभिविन्यास पाठ्यक्रम अविरत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम एवं सेमिनार आयोजित करती है। अलग-अलग अभ्यर्थियों को संयंत्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :—

पुनर्वास में अल्प अभिविन्यास पाठ्यक्रम

- विकलांग बच्चों के साथ कार्यरत व्यावसायिक सलाहकारों के लिए, तथा उनके माता-पिता से विचार-विमर्श करना।
- कल्याण संबंधी कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए उतरदायी जिला एवं खंड स्तरीय सरकारी कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए।
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्य करने वाले व्यावसायिकों के लिए।
- सीखने से संबंधित विकलांगता संबंध में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए।

सी. एम. ई. कार्यक्रम

1. विकलांगों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम के लिए आम सर्जनों/बाल चिकित्सों के पी एच सी चिकित्सक, विकलांग विज्ञान में स्नातकोत्तर विद्यार्थी व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञानियों, भौतिक चिकित्सकों, प्रोस्थैटिक और आर्थोटिक इंजीनियरों एवं तकनीशियनों के लिए।

2. भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक चिकित्सा सेवाएं।

3. निर्धारण क्लिनिक एवं अस्पताल/पुन:निर्माण सर्जरी द्वारा पुनर्वास सेवाएं।

4. सामग्रियों एवं उपकरणों की फिटमेंट सेवाएं।

5. पुनर्वास कैम्प।

6. निम्न के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास सेवाएं।

   (क) जैव इंजीनियरिंग/व्यावसायिक चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा की इन-हाउस परियोजनाएं तथा।

   (ख) बचपन की अशक्ता, निवारण/अनुकूल अंग विकृति परियोजनाएं जैसे बाहर से निधि प्राप्त करने वाली परियोजनाएं।

7. लाईब्रेरी एवं आसूचना सेवाएं (कुछ सेवाएं यूनिसैफ सहायता से कार्य कर रही है)।

8. कार्यशाला एवं सेमिनार।

ये संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं :—

1. पुनर्वास सेवाओं में स्नातक (मानसिक मंदता)	3½ वर्ष + 6 महीने	सिकन्दराबाद	17
2. विशेष शिक्षा में स्नातक (एम आर)	1 वर्ष	एन.आई.एम.एच. के संयुक्त केन्द्रों पर	15
3. विशेष शिक्षा मानसिक मंदता दूरस्थ मोड में सहायक	1 वर्ष	दिल्ली	65

4.	विशेष शिक्षा मानसिक मंदता में डिप्लोमा	1 वर्ष	एन. आई. एम. एच. के.	880
5.	व्यायसायिक प्रशिक्षण एवं नियोजन (मानसिक विक्षिप्तता) में डिप्लोमा	1 वर्ष	सिकन्दराबाद	15
6.	(अर्ली इंटरवेंशन प्रारंभिक) मध्यस्थता में स्नातकोतर डिप्लोमा	1 वर्ष	सिकन्दराबाद	12

राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान, कोलकाता

7.	भौतिक चिकित्सा में स्नातक	3 वर्ष + 6 महीने	कोलकाता	22
8.	संव्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक	3 वर्ष + 6 महीने	कोलकाता	20
9.	कृत्रिम अंग विज्ञान एवं आर्थोटिक में स्नातक	3 वर्ष + 6 महीने	कोलकाता	12
10.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में डी.एन.बी. में डिप्लोमा भौतिक ओपिध एवं पुनर्वास	3 वर्ष	कोलकाता	2
11.	विकलांगता एवं पुनर्वास प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	कोलकाता	09
12.	वहु पुनर्वास कार्यकर्ता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1½ वर्ष	कोलकाता	20

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक

13.	भौतिक चिकित्सा में स्नातक	3 वर्ष + 6 महीने	कटक	20
14.	व्यवसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा	3 वर्ष + 6 महीने	कटक	19

15.	कृत्रिम अंग विज्ञान एवं आर्थोटिक में स्नातक	3 वर्ष + 6 महीने	कटक	15
16.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में, डी. एन. बी. में भौतिक ओषधि एवं पुनर्वास में डिप्लोमा	3 वर्ष	—	—

शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली

17.	विज्ञान आनर्स भौतिक चिकित्सा में स्नातक	4 वर्ष + 6 महीने	नई दिल्ली	31
18.	विज्ञान आनर्स व्यवसायिक चिकित्सा में स्नातक	4 वर्ष + 6 महीने	नई दिल्ली	28

राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून

19.	भौतिक चिकित्सा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	2 वर्ष	देहरादून एवं सयुक्त केन्द्र	6
20.	विशेष शिक्षा दृष्टि विकलांगता सैकेण्डरी स्तर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 वर्ष	देहरादून एवं सयुक्त केन्द्र	122
21.	विशेष शिक्षा दृष्टि विकलांगता प्राथमिक स्तर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 वर्ष	देहरादून एवं सयुक्त केन्द्र	309
22.	अभिविन्यास एवं संचलन प्रशिक्षक के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम	6 महीने	देहरादून	223

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान, मुम्बई

23.	श्रवण विज्ञान एवं वाणी सुधार में विज्ञान स्नातक	3 वर्ष + 1 वर्ष	मुम्बई	18

24.	श्रवण भाषा एवं वाणी में विज्ञान स्नातक	3 वर्ष + 1 वर्ष	कोलकाता	12
25.	शिक्षा स्नातक (एच आई)	1 वर्ष	कोलकाता	12
26.	शिक्षा स्नातक (एच आई)	1 वर्ष	कोलकाता	19
27.	श्रवण विज्ञान एवं वाक् भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक	3 वर्ष + 1 वर्ष	मुम्बई	25
28.	विशेष शिक्षा स्नातक	1 वर्ष	सिकन्दराबाद	14
29.	श्रवण भाषा एवं वाणी में डिप्लोमा	1 वर्ष	कोलकाता, दिल्ली	19
30.	विशेष शिक्षा (श्रवण विकलांगता)	1 वर्ष	सिकन्दराबाद, कोलकाता, बी.बी.एस.आर.	73
31.	श्रवण विकलांगता में शिक्षा स्नातकोत्तर	1 वर्ष	मुंबई	3
32.	श्रवण विज्ञान एवं वाणी भाषा विकृति विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर	2 वर्ष	मुंबई	12

अध्याय-4

पुनर्वास एवं मार्गदर्शन सेवा नेटवर्क

1. केन्द्रीय सरकार

(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

क. शहरी क्षेत्र

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अब 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी. आर. सी.) कार्य कर रहे हैं जो देश में महत्वपूर्ण शहरों में हैं।

ये केन्द्र अशक्त वयस्कों की अवशिष्ट (परिशिष्ट 'ख') क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास के नियोजन में उनकी सहायता करते हैं।

उद्देश्य

विकलांग व्यक्तियों के व्यावहारिक पुनर्वास के उद्देश्य इस प्रकार है व्यक्तियों की संपूर्ण क्षमताओं का पता लगाने के लिए उनकी अवशिष्ट बौद्धिक एवं शारीरिक योग्यताओं का मूल्यांकन करना।

उनकी अविशिष्ट बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं के अनुकूप उपयुक्त प्रशिक्षण, जॉब एवं स्वरोजगार सेवाओं की व्यवस्था करना।

नियोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप एकल प्रचालनों में प्रशिक्षण देने के लिए विशेप प्रशिक्षण माड्यूल बनाना।

ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

ग्रामीण क्षेत्रों/नियत क्षेत्रों के अशक्त व्यक्तियों के अनुरूप व्यवसायों या प्रचालनों की पहचान करना तथा दुर्गम क्षेत्रों में अशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करना।

उन कारीगरों की पहचान करना जो क्षेत्र के अशक्त लोगों को प्रशिक्षण दे सके। समुदाय की सहभागिता से अशक्त व्यक्तियों के लिए सहकारी समूहों, कार्यशालाओं एवं अन्य स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना।

विकलांग व्यक्तियों की पुनर्वास संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्रियां एवं उपकरण अर्जित करने में सहयोग करना।

लक्ष्यसमूह वे व्यक्ति जो—

क. लोकोमोटर अशक्तता

ख. क्षीण दृष्टि

ग. क्षीण श्रवण शक्ति

घ. मन्द मानसिक विक्षिप्तता (आई क्यू 51—70)

ङ उपचारित कुष्ठ से पीड़ित हों।

शैक्षिक योग्यताएं

शैक्षिक योग्यता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। शिक्षा के अनुरूप पुनर्वास सहायता दी जाती है।

आयु 25 से 45 वर्ष

उपलब्ध सेवाएं— शारीरिक एवं व्यावसायिक क्षमताओं का मूल्यांकन करना।

शिक्षा एवं अवशिष्ट क्षमताओं के अनुरूप 13 ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पालिटैक्नीको, शैक्षिक संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में सहायता करना।

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी संदत रोजगार में मदद करना।

स्वरोजगार के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में सहायता करना।

शॉप, पब्लिक कॉल कार्यालय, कार्यशाला इत्यादि जैसे स्वरोजगार उपक्रम आरम्भ करने में सहायता करना।

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख प्रचालनों में समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

सांस्कृतिक एवं खेल-कूद गतिविधियों में भाग लेना।

कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं। कैसे और किसे सम्पर्क किया जाए।

अपने नजदीकी विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में किसी भी कार्य दिवस को एक बजे से पूर्व सम्पर्क करें। कुछ वी.आर.सी. केन्द्रों में छात्रावास सुविधाएं भी हैं।

विस्तारित आउट रीच सेवाएं

दूर-दराज क्षेत्रों में अशक्त व्यक्तियों के लिए सेवाओं की व्यवस्था करने तथा विकलांग व्यक्तियों की दहलीज सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र रोजगार कार्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य सेवा क्लबों के सहयोग से पुनर्वास कैम्प आयोजित करते हैं। कोई भी संगठन नजदीकी व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं। सामान्यत व्यावसायिक पूनर्वास केन्द्र उस संपूर्ण राज्य, जिसमें वे स्थापित है, की देखरेख करते हैं। अपवादित मामलों में वे साथ वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में भी कैम्प आयोजित करते हैं।

ख. ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्र एवं सचल कैम्प।

सचल कैम्पों के अतिरिक्त पांच व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के साथ ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों को जोड़ा गया है। इन ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों आर.आर.ई.सी. के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

क. निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचान करना एवं मूल्यांकन करना।

ख. समुदायों में विकलांग की क्षमताओं के प्रति जागरूकता पैदा करना।

ग. प्रशिक्षण रोजगार या स्वरोजगार में विकलांग व्यक्तियों के मूल्यांकन एवं नियोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प आयोजित करना।

घ. ग्रामीण/नियत क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अनुरूप व्यवसायों या प्रचालनों की पहचान करना।

ङ. उन कारीगरों की पहचान करना जो क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे सकें। सामुदायिक संसाधनों एवं व्यवसायिक, पुनर्वास केन्द्रों में उपलब्ध तकनीकी जानकारी का उपयोग करके चुनिंदा प्रचालनों में समुदाय आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।

(ii) सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारत सरकार ने समिति पंजीकरण अधिनियम, 1986 के अधीन 1986 में पुनर्वास परिषद् का पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया है। इसके बाद इसे भारत के पुनर्वास परिषद् अधिनियम के अधीन 31 जुलाई, 1993 से सांविधि निकाय के रूप में परिवर्तित किया गया। इसका प्रशासनिक नियंत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है।

उद्देश्य

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों को विनियमित करना।

विकलांग व्यक्तियों की देखरेख करने वाले व्यवसायिकों की अवाटियस श्रेणियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों को समान रूप से विनियमित कराना।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट देने वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा जब भी सुविधाएं संतोषजनक न हो, मान्यता वापिस लेना।

पारस्परिक आधार पर विदेशी डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट देने वाले/विश्वविद्यालयों/संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।

मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना।

विकलांगता क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन के सहयोग से अविरत पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

विस्तृत जानकारी के लिए किससे सम्पर्क किया जाए।

सदस्य-सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद्,
23 'ए' शिवाजी मार्ग,
कर्मपुरा परिसर के निकट,
नई दिल्ली-110015

दूरभाष : 25911964, 25911965

फैक्स : 25911967

ई मेल-rehabstd@nde.vsnl.net.in

वेबसाइट-www.rehab.council.org

भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांगों व्यक्तियों/विकलांगों के लिए विस्तृत पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र स्कीम (डी.आर.सी.एस.) भी आरम्भ की है। ग्रामीण अशक्त व्यक्तियों को गांवों में कैम्प आयोजित करके विस्तृत पुनर्वास सेवाएं देने के लिए भारत सरकार ने जिला पुनर्वास केन्द्र स्कीम आरम्भ की है। देश के 10 प्रमुख राज्यों में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्कीम कार्य कर रही है। ये हैं भिवानी (हरियाणा), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), भुवनेश्वर (उड़ीसा), चंगलपटु (तमिलनाडु), जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश), कोटा (राजस्थान), मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), मैसूर (कर्नाटक), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश), विराट महाराष्ट्र ये केन्द्र निवारण एवं शीघ्र पता लगाना, चिकित्सा रोकथाम सर्जिकल सुधार कृत्रिम सहायक सामग्रियों एवं उपकरणों को लगाना, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सीय एवं वाणी चिकित्सा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्थानीय उद्योगों में नौकरी दिलवाना आदि कार्यों में सेवाएं प्रदान करते हैं।

विकलांगता वाले व्यक्तियों को राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार विभागों से मिलने वाली विशेष रियायतों, सुविधाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध

कराने के लिए डी आर सी स्कीम के अन्तर्गत दिल्ली में एक राष्ट्रीय अशक्तता एवं पुनर्वास आसूचना केन्द्र (एन आई सी डी आर) भी कार्य रहा है।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

परियोजना निदेशक, डी आर सी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
4 विष्णु दिगम्बर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

फोन : 23233255
फैक्स : 23232412
ई मेल-paddrc@ren.02.nic.in

इसके अतिरिक्त जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्कीम के डी डी आर सी के अधीन देश के विभिन्न भागों में विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए 85 डी. डी. आर. केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

1. निवारण, शीघ्र पता लगाना एवं रोकथाम।
2. विकलांगता प्रमाणपत्र की सुविधाएं एवं प्रावधान।
3. सहायक युक्तियों मूल्यांकन (असेसमेन्ट), लगाना एवं मरम्मत।
4. अवरोध मुक्त पर्यावरण को बढ़ाना।
5. शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार को बढावा देने वाली सहायक एवं संपूरक सेवाएं।
6. स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल व्यवसाय की पहचान करना तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण डिजाइन करना।
7. मौजूद शैक्षिक, प्रशिक्षण कार्यकलापों एवं सर्जिकल सुधार के लिए रैफरल सेवाएं।

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र कार्यक्रम

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, जिन तक अभी पहुंचा नहीं गया है, के लिए विस्तृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र

स्थापित किए जा रहे हैं जिनका कार्य सहायक युक्तियों का निर्धारण, फिट करना, रखरखाव एवं मरम्मत करना है। यह स्कीम भवनों, सड़कों, परिवहन एवं अन्य सार्वजनिक आधारित संरचना में अवरोध मुक्त पर्यावरण प्रदान करने का कार्य करती है।

कार्यान्वयन

राष्ट्रीय/प्रमुख संस्थान, जिला पुनर्वास केन्द्र एवं ए एल आई एम सी ओ स्कीम को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियां हैं। इसकी सेवाएं स्थानीय गैर-सरकारी संगठन, राज्य सरकार एजेन्सियों/प्राधिकारियों के सहयोग से प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक केन्द्र जिला प्रबन्ध दल का मुखिया जिला कलेक्टर होता है।

कार्यक्रम की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण रणनीति जिला स्तर पर स्थापित संस्थागत ढांचे के साथ सहयोग के संभावित रास्तों का पता लगाना है । इसमें स्वायत निकाय एवं सरकारी संस्थाएं जिले में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन, रैड क्रास समिति, लायन/रोटरी क्लब, व्यवसायिक, महत्वपूर्ण व्यक्ति, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, महिला मंडल, पंचायती राज संस्थाएं, डी. आर. डी. ए. स्थानीय निकाय आदि शामिल हैं।

देश के विभिन्न भागों में 74 जिला विकलांग विकलांगता केन्द्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क करें :

निदेशक, अशक्तता विभाग,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23387269
फैक्स : 23384918

अवर सचिव डी डी-11
भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
6वां तल, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23389164
फैक्स : 23384918

मेरूदंडीय चोट एवं अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (आर आर सी)।

मेरूदंडीय चोट एवं अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार से प्रायोजित स्कीम के रूप में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह मूल प्रबंध एवं मेरूदंडीय चोटग्रस्त एवं विकलांग अशक्तता की अनुवर्ती कार्यवाही की सुविधाओं की व्यवस्था करता है जिसका कार्य पुनर्वास के साथ-साथ प्रशिक्षण देना भी है।

उद्देश्य

केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं :—

क. निदान सुविधाएं।

ख. भौतिक चिकित्सा एवं व्यावसायिक चिकित्सा।

ग. छोटे माइनर ऑपरेशन।

घ. कृत्रिम अंग एवं उपकरण लगाना।

ङ. बिस्तर पर पड़े रोगी को दी जाने वाली सुविधा।

च. व्यावसायिक प्रशिक्षण।

छ. अध्यापन एवं प्रशिक्षण सामग्री।

कार्यान्वयन

राज्य सरकार भूमि, भवन एवं अन्य आधारित संरचना की व्यवस्था करके परियोजना की कम से कम 10% लागत, राज्य के शेयर के रूप में देती है।

भारतीय मेरूदंडीय चोट केन्द्र इन केन्द्रों के गठन के लिए तकनीकी सहायता देते हैं। उपस्करों के रूप में मिलने वाली इटली सरकार की सहायता का वर्णन स्कीम के अन्तर्गत किया गया है।

चारों क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों ने मोहाली, कटक, जबलपुर एवं बरेली में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

संयुक्त सचिव (डी डी)
भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 23386220
फैक्स : 23384918

निदेशक
भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 23388519
फैक्स : 23384918.

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विकलांगता क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले संगठनों/व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष विकलांग लोगों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देता है।

प्रतिवर्ष ये पुरस्कार अन्तरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस 03 दिसम्बर को दिए जाते हैं।

उद्देश्य

विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना एवं मान्यता देना पुरस्कार देने का मूल उद्देश्य है। ये पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों की क्षमता एवं उपलब्धियों और उनके लिए कार्य करने वाले संगठनों के प्रति सम्मान का सूचक है। जनसंख्या के इस भाग की समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना भी इसका उद्देश्य है तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है।

पुरस्कारों की श्रेणियां एवं संख्या

निम्नलिखित श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं :—

क्रम सं.		पुरस्कारों की संख्या
1.	उत्तम कर्मचारी (इनमें से 10 पुरस्कार स्व-रोजगार वाले अशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित हैं)	25
2.	विकलांग व्यक्तियों का उत्तम नियोक्ता	18
3.	विकलांग व्यक्तियों का उत्तम नियोजन अधिकारी	4
4.	विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तम कार्यकर्ता	5
5.	विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तम संस्था	1
6.	विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तम प्रौद्योगिकीय/नवाचार तथा लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के लिए नवाचार की अनुकूलनीयता	1
7.	उत्कृष्ट सृजनशील अशक्त व्यक्ति	1
8.	विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए किया गया उत्कृष्ट कार्य	3
9.	रोल मॉडल पुरस्कार	5
10.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सराहनीय पुनर्वास करने वाले राज्य का उत्तम जिला	1

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

अवर सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 23386314
फैक्स : 23384918.

निदेशक (डी डी)
भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
9वां तल, ए-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 23388269
फैक्स : 23384918.

2. राज्य सरकार

40 विशेष रोजगार कार्यालय एवं विशेष रोजगार कार्यालयों पर 41 विशेष प्रकोष्ठ भी विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शेष सभी सामान्य रोजगार कार्यालय भी अपने व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं पंजीकरण/नियोजन सेवाओं के माध्यम से रोजगार पाने वाले अन्य श्रेणी के लोगों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को भी सेवाएं प्रदान करता है।

अध्याय-5

विकलांगों के लिए रियायतें

विकलांग व्यक्ति के मुक्त संचलन के लिए समाज के सदस्य के रूप में स्व-विकास एवं प्रगति करने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार अशक्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित रियायतें देती है।

क. यात्रा

हवाई यात्रा

इंडियन एयरलाईंस एकल यात्रा के लिए अन्धे व्यक्तियों के लिए 50 प्रतिशत रियायत देती है।

रेल यात्रा

1. रेलवे विकलांग व्यक्तियों को उच्च श्रेणी, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किराए में 75 प्रतिशत रियायत देती है।
2. अन्धे व्यक्ति, शारीरिक एवं मानसिक विकलांग व्यक्तियों के सहायक भी मूल किराए में 75 प्रतिशत रियायत पाने के हकदार हैं।

सड़क परिवहन

विकलांग व्यक्तियों के संचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी परिवहन में सीटों का आरक्षण किया गया है।

सवारी भत्ता

केन्द्र सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी, जो अन्धे या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, को ग्रेड में अनुमत सवारी भत्ते से दुगना सवारी भत्ता दिया जाता है।

ख. डाक शुल्क

देश एवं विदेश दोनों में अन्ध साहित्य, पैकेटों के संचरण को यदि केवल मार्ग से भेजा जाए तो, डाक टिकट के भुगतान से छूट दी गई है। इसमें ब्रेल में मुद्रित पत्रिकाएं एवं

पुस्तकें शामिल होती हैं। परन्तु किसी भी अन्ध साहित्य के पैकेट का वजन 7 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग. उत्पादन शुल्क/सीमापार

ब्रेल पेपर को उत्पाद शुल्क एवं सीमाकर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है बशर्ते पेपर को सीधे अन्ध स्कूलों या ब्रेल प्रेस को राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून द्वारा दिए गए मांगपत्र पर भेजा गया हो। अन्धों के लिए पुस्तकों, अखबारों या मैगजीनों से सामग्री लेकर रिकार्ड की गई श्रव्य कैसटों को उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है बशर्ते इन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विनिर्दिष्ट संस्थानों/संगठनों द्वारा आयात किया जाता है।

घ. शिक्षा भत्ता

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों सम्बन्धी शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति को बढ़ाकर 50 रु. कर दिया गया है।

ड. आयकर में रियायतें

निर्धारिती जो कि आंशिक रूप से/पूर्णरूप से अन्धा है या शारीरिक रूप से विकलांग आवासी है, के मामले में उसकी आय में से कुल 40,000 रु. कम कर दिए जाते हैं यदि वह–

क. पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से अन्धा है या

ख. निम्नलिखित में से किसी एक स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है।

1. किसी एक अंग की 50 प्रतिशत से अधिक स्थायी शारीरिक अशक्तता या
2. दो या अधिक अंगों की 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी शारीरिक विकलांगता या
3. 71 डेसिबल या इससे अधिक की श्रवण शक्ति में कमी के साथ स्थायी बहरापन, या
4. वाणी का स्थायी एवं पूरी तरह से चले जाना धारा 80 यू।

विकलांग आश्रित

यदि शारीरिक रूप से विकलांग/अन्धे/मानसिक रूप से मंदता विक्षिप्त व्यक्ति के आश्रित द्वारा उसके उपचार/रखरखाव/पुनर्वास के लिए कोई खर्च किया हो तथा/या जीवन बीमा निगम या यू. टी. आई. द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अर्न्तगत एकमुश्त कोई धन जमा कराया गया हो तो कर निर्धारिती को धारा 80 डी डी के अर्न्तगत आश्रितों को 40,000 रु तक की छूट दी जाती है।

अध्याय-6

ऋण एवं वित्तीय सहायता द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए चूंकि उन्हें रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रार्थियों की बहुत अधिक सहायता की जरूरत होती है।

क. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 195 की धारा 25 के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को कम्पनी के रूप में, बिना लाभ के निगमित किया गया। इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है तथा इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए है (केवल चार सौ करोड़ रुपए)।

उद्देश्य

1. विकलांग व्यक्तियों के हित के लिए आर्थिक विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास/हित के लिए स्व-रोजगार एवं अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।
3. किफायती एवं व्यवहार्य स्कीमों एवं परियोजना के लिए अशक्त व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों के समूह को ऋण एवं सहायता करना।
4. राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से देश के विकलांग व्यक्तियों के चुनिंदा मामलों में उस सीमा तक रियायती वित्त स्वीकृत करना जो भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के रूप में कम्पनी को दिया जाता है।
5. स्नातक एवं उच्च स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा में स्नातक एवं उच्च स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए विकलांग व्यक्तियों को ऋण देना।

6. उत्पादन इकाइयों के उपयुक्त एवं सफल प्रबन्ध के लिए विकलांग व्यक्तियों की तकनीकी एवं उद्यमी कौशलों के उन्नयन में सहायता करना।

7. विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक धन्धों में सहायता करने के लिए उनके उपयुक्त पुनर्वास/उत्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण, अर्हता नियन्त्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केन्द्र एवं अन्य आधारिक कार्यकलाप की व्यवस्था करना।

8. वित्तीय सहायता देकर तथा पुन: वितपोषण द्वारा वाणिज्य निधीयन की व्यवस्था करके राज्य-स्तर के संगठन की सहायता करना जो अशक्तता वाले व्यक्तियों का विकास करता है।

9. राज्य वित्त निगमों या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सदृश निगमों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा गठित बोर्डों द्वारा निधियों के संवितरण के लिए एपैक्स संस्था के रूप में कार्य करना। एन.एच.एफ.डी.सी. ऊपर लिखित संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त करती है तथा इन संगठनों के माध्यम से ऋण एवं मार्जिन धन का संवितरण लाभार्थियों को किया जाता है।

10. विकलांग व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के विपणन के लिए स्व-रोजगार व्यक्तियों/समूहों या पंजीकृत फैक्टरियों/कम्पनियों/सहकारिताओं की सहायता करना तथा कच्ची सामग्री के सुधार में सहायता करना।

11. नवाचारों, प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं आधारिक संरचना के महत्वपूर्ण अन्तरालों को पाटने, इनपुट आपूर्ति, आउटपुट संसाधन एवं विपणन के इरादे से विकलांग व्यक्तियों के स्व-रोजगार, आर्थिक कार्यकलापों के बढ़ावे में सहायता करने के लिए भारत में विशिष्ट पॉयलट कार्यक्रम, परियोजनाएं एवं स्कीमें बनाने, प्रचालित करने एवं कार्यान्वित करने के लिए।

12. विकलांगों के लाभ के लिए व्यवहार्य कार्यक्रम, परियोजनाओं, स्कीमों को बनाने के लिए तकनीकी, प्रबन्धकीय या वित्तीय सहायता देना/या अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन, तकनीकी-आर्थिक एवं संगत सर्वेक्षण, परियोजना रिर्पोटों एवं दस्तावेज तैयार करना एवं मूल्यांकन करना, व्यवहार्यता एवं अन्य अध्ययन करना।

13. प्रशिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रायोगिक प्रयोगों की स्थापना करना उसे बनाए रखना, अंशदान करना, आर्थिक सहायता देना या सदस्य बनाना।

ख. परियोजनाओं के वित्तपोषण की स्कीमें

छोटे कारोबार अर्थात सेवा/ट्रेडिंग क्षेत्र में स्वरोजगार

1. सेवा क्षेत्र या ट्रेडिंग कार्यकलाप में विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था करना छोटा कारोबार, परियोजनाए या कार्यकलाप, जिसके लिए वित्त सहायता ली गई, स्वंय विकलांग व्यक्तियों द्वारा ही प्रचालित किए जाऐंगें तथा उसके उपक्रम में कम से कम 15 प्रतिशत अशक्त व्यक्तियों का काम पर रखना।

इस स्कीम के अन्तर्गत दिया जानें वाला ऋण 2.50 लाख रुपए है, वित्तपोषण के क्षेत्र इस प्रकार है

1. किसी प्रकार के भण्डार की दुकान
2. कार्यशाला या मरम्मत शॉप या सेवा केन्द्र
3. स्वास्थय केन्द्र/ब्यूटी पार्लर
4. कम्प्यूटर सैन्टर (प्रशिक्षण एवं जॉब-वर्क)
5. स्टुडियो/फोटोग्राफी
6. प्रिन्टिंग प्रैस
7. टेलिफोन/फैक्स/ई-मेल बाक्स
8. दर्जी/सिलाई की दुकान
9. ट्रेवल एजेंन्सी
10. फोटोकॉपी मशीन
11. परिवहन सेवा

12. कुक्कट फार्म

13. हथकरघा

14. पीतल के बर्तन

15. डीलरशिप

16. फ्रेंचाइजी

17. विकलांगों के स्कूल

18. बुनाई

19. जिल्द बनाना

20. चमड़े का कार्य

21. भौतिक चिकित्सा

22. संगीत विद्यालय

23. कम्प्यूटर हार्डवेयर डीलरशिप

24. पेट्रोलियम उत्पादनों की डीलरशिप

25. मोमबती एवं चाक बनाना

ग. विकलांग उद्यमियों के लिए सहायता

विनिर्माण एवं उत्पादन क्रियाकलाप के लिए ऋण की व्यवस्था की जा सकती है। विकलांग व्यक्ति कम्पनी का स्वामी/मुख्य कार्यकारी होगा तथा कम से कम 15% विकलांग व्यक्तियों का नियोजन करेगा।

निम्नलिखित कार्यों के लिए इस स्कीम के अर्न्तगत 20 लाख रुपए तक अधिकतम राशि ऋण के रूप में दी जाती है

क. सहायक उत्पाद विनिर्माण

ख. सॉफ्टवेयर विकास एवं विपणन

ग. मत्स्य पालन

घ. डेयरी पालन

ङ. हीरा काटना एवं पालिश करना

च. खाद्य प्रसंस्करण

छ. वस्त्र विनिर्माण

ज. मिट्टी के बर्तन (पोटरिज)

झ. सांचित मोल्डिंग फर्नीचर समेत फर्नीचर विनिर्माण

ण. कृषि आधारित उद्योग

ट. हर्बल उत्पाद

ठ. पैकिंग करना

ड. प्लास्टिक मोल्डिंग

घ. उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता

निगम साठवें औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा/प्रशिक्षण, जो महत्वपूर्ण जानकारी एवं हुनर देगा, के अर्न्तगत विकलांगों, समूहों की प्रशिक्षण एवं शैक्षिक अपेक्षाओं के पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है औपचारिक प्रशिक्षण अन्य अर्हताओं के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के लिए उपयुक्त व्यावसायिक/शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा करके लाभार्थियों के नियोजन/शैक्षिणिक नियोजन के अवसरों में बढ़ोतरी करेगा जबकि उच्च शिक्षा स्नातकाधीन, स्नातकोतर एवं डॉक्टरल अध्ययन अनुप्रयोग के लिए ऋण पर विचार-विमर्श किया जाएगा जबकि डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के लिए तकनीकी शिक्षा/ प्रशिक्षण के अनुप्रयोग पर अनुदान के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा जिससे लाभार्थियों को ट्यूशन फीस एवं छात्रावास सुविधाओं दोनों के व्यय की पूर्ति होगी बशर्ते इस प्रयोजन के लिए अन्य किसी स्त्रोत से वित्तीय सहायता/रियायत उपलब्ध न हो।

ड़ कृषि क्रियाकलापों के लिए सहायता

विकलांग व्यक्तियों को निम्न कार्यों के लिए ऋण सहायता दी जाती है।

(क) कृषि उत्पादन एवं सिंचाई, कृषि मशीनरी की खरीद, बागबानी, रेशम उत्पादन इत्यादि जैसे सम्बद्ध क्षेत्र।

(ख) (कीटनाशक छिड़काव, फसल काटना आदि) कृषि मशीनरी को किराए पर लेना जैसी कृषि सेवाओं के लिए उपस्कर खरीदना।

(ग) कृषि विपणन सहकारी (समितियों/विकलांग किसानों के संघ के द्वारा) ग्रेंडिग एवं पैकिंग हाउसों की स्थापना, कृषि उत्पाद आदि के विपणन के लिए परिवहन वाहन खरीदना।

(घ) विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों की सहकारी समितियों द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए भूमि की खरीद।

(ङ) मंडी समितियों में कमीशन एजेंन्ट।

(च) कार्वन खाद के पेस्टनाशी, कीटनाशक बीजों की उन्नत प्रकार, फार्म मशीनरी आदि के विपणन के रिटेल, आउटलैट जैसे छोटा कारोबार।

इस स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।

च. विकलांग व्यक्तियों को सहायक युक्तियों के विर्निमाण उत्पादन को बढ़ावा देने वाली स्कीम

देश के अन्दर विकलांगों की प्रसिद्ध सरकारी/शैक्षणिक संस्था के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकसित विनिर्माण सहायक सामग्रियों एवं उपकरण तैयार करने के लिए लघु उद्योग की स्थापना हेतु ऋण सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अर्न्तगत अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।

छ. दक्षता एवं ठेकेदारी विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता

विकलांग व्यक्तियों को कौशल एवं ठेकेदारी विकास प्रशिक्षण देने के लिए चैनल एजेंसियों, प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों, आर.आर.टी. केन्द्रों एवं मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेषकर कौशल एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण देने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र समेत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। एन.एच.एफ.डी.सी. से प्राप्त वित्तीय सहायता से कौशल (स्कील्स) के उन्नयन के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

ज. मानसिक मंदता (विक्षिप्तता) प्रमास्तिष्कीय पक्षाघात या स्वलीनता वाले व्यक्तियों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली स्कीमें

मानसिक विक्षिप्तता, प्रमास्तिष्कीय पक्षाघात या स्वलीनता से पीड़ित व्यक्ति ऋण के लिए पात्र नहीं हो सकते तथा कानूनी संविदा नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों एन.एच.एफ.डी.सी. से वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

क. आश्रित मानसिक मंदता विक्षिप्तता वाले व्यक्तियों के माता-पिता।

ख. आश्रित मानसिक मंदता विक्षिप्तता वाले व्यक्तियों की पत्नी/पति।

इस श्रेणी के अन्तर्गत एन.एच.एफ.डी.सी. से ऋण लेने वाले व्यक्तियों को मानसिक रूप से विक्षिप्तता मंदता वाले व्यक्तियों के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना चाहिए। परियोजनाओं का निर्धारण इस प्रकार से करना चाहिए कि वित्तपोषण के क्षेत्र में लाभार्थियों की साझेदारी एवं सहभागिता सीधी हो। वित्तपोषण के क्षेत्र इस प्रकार हैं :

1. शॉप या भण्डार
2. संयोजक इकाई
3. मरम्मत शॉप या कार्यशाला
4. लिफाफे बनाने की इकाई
5. अचार, पापड, वडी बनाने वाली इकाई
6. बेकरी
7. जीरोक्स केन्द्र
8. सिलाई इकाई
9. डी.टी.पी. केन्द्र

10. स्क्रीन प्रिंटिंग

11. मुर्गी पालन

12. डेयरी

13. बागवानी

14. हैण्डलूम इकाई

15. ब्लॉक टैक्सटाइल प्रिंटिंग

इस स्कीम के अन्तर्गत 2.5 लाख रु. तक अधिकतम ऋण दिया जाता है।

स्वरोजगार की परियोजनाओं के निधीयन के लिए दिशानिर्देश एवं विस्तृत ब्यौरे के लिए निम्न केन्द्र से सम्पर्क करें :

एन.एच.एफ.डी.सी.
रैड क्रास भवन (लघु सचिवालय के सामने)
सैक्टर-12
फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)

अध्याय-7

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रम

यह अनिवार्य है कि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी सभी पाठ्यक्रमों को भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) द्वारा मान्यता दी जाए।

ये सभी पाठ्यक्रम विकलांग (उनकी अवशिष्ट शारीरिक क्षमताओं एवं शैक्षिक योग्यताओं पर निर्भर करता है) व्यक्तियों एवं गैर विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।

अनेक प्राइवेट एवं सरकारी संस्थाएं भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा एवं आर्थोटिक तथा प्रॉस्थोटिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चला रही हैं। अधिकांश चिकित्सा कालेजों में ऐसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
आंध्र प्रदेश		
1.	ठाकुर हरिप्रसाद मानसिक विकलांग अनुसंधान एवं पुनर्वास संस्थान, विवेकानन्द नगर, दिलसुख नगर, हैदराबाद	पी.जी.डी.डी.आर. डी.एस.ई. (एम.आर.)
2.	ठाकुर हरिप्रसाद मानसिक विकलांग अनुसंधान एवं पुनर्वास संस्थान की ग्रामीण परियोजना, म. न. 4/186, लाला छैरूवू राजामुंद्री	डी.एस.ई. (एम.आर.)
3.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मनोविकास नगर, बोवनपैल्ली सिकन्दराबाद	बी.आर.एस. (एम.आर.) डी.वी.टी.ई.एम.आर. बी.एड. विशेप शिक्षा (एम.आर.)

275DGET/06-4

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
4.	विकलांगों के लिए स्वीकार पुनर्वास संस्थान उपकार सर्किल, पिकेट, सिकन्दराबाद	डी.एस.ई. (एच.आई.) बी.ए.एस.एल.पी.
5.	बहरों के लिए हेलेन कैलर स्कूल, 10.722 शिवलिंगम बेदी फैक्टरी के निकट, बैलारी रोड, कुडप्पा	डी.एस.ई. (एच.आई.)
6.	रायल सीमा सेवा समिति, नं. 9 पुराना हुजूर कार्यालय भवन, तिरूपति	डी.एस.ई. (एम.आर.)
7.	दृष्टि विकलांगों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र 1-10-242, अशोक नगर, हैदराबाद	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
8.	विशेष शिक्षा विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम	एम.एड. (वी.आई.) बी.एड.(वी.आई.)
9.	ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच.एस.आर.सी., एन.आई.एम.एच. परिसर, बाउनपैल्ली सिकन्दराबाद	डी.एस.ई.(एच.आई.) बी.एड.,बी.ए.एस.एल.पी.
10.	कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन आंध्र महिला सभा दुर्गाबाई देशमुख विद्यापीठम, ओसमानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद	बी.एड. विशेष शिक्षा (एच.आई.)
11.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	बी.एड. विशेष शिक्षा (एच.आई.)
आसाम		
12.	मानसिक विकलांगों के लिए पूर्वोतर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान मनोविकास केन्द्र काटिल पाडा, गुवाहाटी	डी.एस.ई.(एम.आर.)
बिहार		
13.	भारतीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान रोड, केन्द्रीय जेल के निकट बेयूर, पटना	बी.एस.सी.(पी.एंड ओ.)बी.ए.एस.एल.बी.

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
14.	जे.एम. वाणी एवं श्रवण संस्थान, डाकखाना केसरी नगर, पटना	डी.एस.ई.(एच.आई.) डी.एच.एल.एस.
15.	दृष्टि विकलांगों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र कदम कुआं, पटना	डी.एस.ई.(वी.आई.) प्राथमिक स्तर
	चण्डीगढ़	
16.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान, सैक्टर-12, चण्डीगढ़	बी.ए.एस.एल.पी.
	छत्तीसगढ़	
17.	लायन्स धर्मार्थ न्यास चेरिटेबल ट्रस्ट प्रयास, श्रवण विकलांग संस्थान, जी.ई. रोड सुपेला, भिलाई	डी.एस.ई.(एच.आई.)
18.	मानसिक विकलांगों के लिए आंकाक्षा लायन्स स्कूल, लायन्स डेन जल विहार कालोनी, रायपुर	डी.एस.ई.(एम.आर.)
19.	राष्ट्रीय अन्ध संघ, प्रेरणा, एम पी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्लाइस-111 हेरापुर, रायपुर	डी.एस.ई.(वी.आई.) प्राथमिक स्तर
	दिल्ली	
20.	पुनर्वास विभाग, सफदरजंग अस्पताल, अंसारी नगर, नई दिल्ली	डी.पी.ओ.ई.एम.आर.डब्ल्यू.
21.	अंध राहत संघ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली	डी.एस.ई. सैकण्डरी स्तर
22.	विशेष शिक्षा संस्थान, वाई.एम.सी.ए. निजामुद्दीन, नई दिल्ली	डी.एस.ई.डी.(एम.आर.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
23.	एन.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र (एन.आर.सी.) कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली	डी.एस.ई.(एम.आर.)
24.	अमर ज्योति पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, कड़कड़डूमा, दिल्ली	डी.एस.ई.(एम.आर.)
25.	मन्द बुद्धि बच्चों के कल्याण के लिए दिल्ली सोसायटी, ओखला, नई दिल्ली	डी.एस.ई.(एम.आर.)
26.	ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच.एन.आर.सी. कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली	डी.एस.ई.(एच.आई.) डी.एच.एल.एस.
27.	जामिया मिलिया इस्लामिया उन्नत अध्ययन संस्थान शिक्षा संकाय, नई दिल्ली	एम.एड. विशेष शिक्षा. (एम.सी.) बी.एड. विशेष शिक्षा-(वी.आई.)
	गुजरात	
28.	बी.एम. मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आश्रम रोड, नया नेहरू पुल, नवरागपुर, अहमदाबाद	डी.एस.ई.(वी.आई.) प्राथमिक स्तर
29.	अन्ध व्यक्ति संघ, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	डी.एस.ई.(वी.आई.) सैकण्डरी स्तर
30.	के. एल. बधिर संस्थान, विद्यानगर, भावनगर	डी.एस.ई.(एम.आर.)
31.	गुजरात कलवाणी ट्रस्ट, मंगल प्रभात न्यूलडिंग, मिरजावर, अहमदाबाद	डी.एस.ई.(एम.आर.)
32.	चिकित्सा देखभाल केन्द्र बाल न्यास अस्पताल करेली बोग, बडोदरा	डी.एस.ई.(एम.आर.)
33.	अन्धों एवं बहरों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेज, नवरंगपुर, अहमदाबाद	डी.एस.ई.(एच.आई.) डी.एस.ई.(वी.आई.) प्राथमिक स्तर
34.	अक्षर ट्रस्ट मेघदूत, आर.सी.दत्त. रोड, बडोदरा	डी.एस.ई.(एच.आई.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
	हरियाणा	
35.	अर्पण मानसिक विकलांग संस्थान गांधी रोड, रोहतक	डी.एस.ई.(एम.आर.)
36.	विशेष शिक्षा विभाग, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	बी.एड.विशेप शिक्षा (वी.आई.) एम एण्ड विशेप शिक्षा (वी.आई.)
	झारखंड	
37.	दीपशिखा बाल विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, आर्य समाज मंदिर शरदचंद रोड, रांची	डी.एस.ई.(एम.आर.)
	कर्नाटक	
38.	डॉ.एस.आर. चन्द्रशेखर वाणी एवं श्रवण संस्थान, हैनूर रोड, बंगलौर	बी.ए.एस.एल.पी., एम.ए.एस.एल.पी., डी.एस.ई.(एच.आई.)
39.	डॉ. टी एम. ए.पाई विशेष शिक्षा कालेज कुंजीबेट्टु, उडीपी	बी.एस.ई.(एम.आर.)
40.	सैंट एजेन्स विशेप स्कूल, बेडोर, मंगलूर	डी.एस.ई.(एम.आर.)
41.	अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	बी.ए.एस.एल.पी.एम.ए. एस.एल.पी.
42.	स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, ए.बी. शेट्टी सर्किल, मंगलूर	बी.ए.एस.एल.पी.
43.	मन्दबुद्धि बच्चों का केरल अभिभावक संघ, ए.एम.एच. कंपाउण्ड, किदवई मैमोरियल अस्पताल, बंगलौर	डी.एस.ई.(एम.आर.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
44.	कस्तूरबा चिकित्सा कालेज, मनिपाल	एम. फिल (क्लिनिकल मनोविज्ञान)
45.	दरीचमांड फैलोशिप सोसाइटी इंदूया आशा, 501, 47वां क्रॉस, 9वीं मेन जसनगर, बंगलौर	एम.एस.सी. (मनो-सामाजिक पुनर्वास)
46.	श्री रमन्ना महर्षि अन्ध अकादमी, जे.पी. नगर, बंगलौर	डी.एस.सी.—(वी.आई.) प्राथमिक स्तर
47.	श्रवण विकलांगों के लिए राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, तिलक नगर, मैसूर	डी.एस.सी.—(एच.आई.)
48.	दृष्टि विकलांगों के लिए हेलेन किल्लर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर	डी.एस.सी.—(एच.आई.) प्राथमिक स्तर
49.	सहायक स्वास्थ्य विज्ञान कालेज, मनीपाल	बी.ए.एस.एल.पी.
केरल		
50.	ए डब्ल्यू एच विकलांग संस्थान पवामन रोड, कालीकट	डी.एस.ई. (एम.आर.) बी.एड.एच.आई.
51.	निर्मला सदन शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, मुवाटुपुझा	डी.एस.ई. (एम.आर.)
52.	चिकित्सा ट्रस्ट अस्पताल, कोची	डी.एच.एल.एम.
53.	केन्द्रीय मन्द बुद्धि संस्थान, मुरीजपल्लम, त्रिवेन्द्रम	डी.एस.ई. (एच.आई.)
54.	क्षीण श्रवणता वाले व्यक्तियों के अध्यापकों का सी.एस.आई. प्रशिक्षण केन्द्र वालाकोम, कोलाम	डी.एस.ई. (एच.आई.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
55.	दृष्टि विकलांगों के अध्यापकों के अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र का केरल संघ वल्लाकोम, कोल्लम	डी.एस.ई. प्राथमिक स्तर
56.	बाल विकास शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र पेरूकडा, त्रिवेन्द्रम	डी.एस.ई. (एम.आर.)
57.	राष्ट्रीय वाणी एवं श्रवण संस्थान पूजापूरा, त्रिवेन्द्रम	डी.एस.ई. (एच. आई.), प्री-स्कूल यंग हीयरिंग इंपेयरड चिल्ड्रन शिक्षण डिप्लोमा
58.	फेथ इंडिया, पुथनक्रुज, इरनाकुलम जिला	डी.एस.ई. (एम. आर.)
59.	मर्सी होम, छेथी पुझा, चंगेंसरी	एम.आर.डब्ल्यू. में डिप्लोमा कोर्स
60.	के.वी.एम. विशेष शिक्षा कॉलेज, छेरतला	डी.एस.ई. (एम. आर.)
61.	स्नेह सदन विशेष शिक्षा कॉलेज, संगमली	डी.एस.ई. (एम. आर.)
मध्य प्रदेश		
62.	दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान शिवाजी मार्ग, भोपाल	डी.एस.ई. (एम.आर.)
63.	महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, इंदौर	डी.एस.ई. (वी.आई) प्राथमिक स्तर, बी.एड. विशेष शिक्षा एच.आई.
64.	संजीवनी सेवा संगम, इंदौर	डी.एस.ई.एच.आई.

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
महाराष्ट्र		
65.	राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग कल्याण संघ, अमरावती	डी.एस.ई. (वी.आई) प्राथमिक स्तर
66.	अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली, मुम्बई	बी.एस.सी. (पी. एंड ओ)
67.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बांद्रा पश्चिम, मुम्बई	एम.ए.एस.एल.पी., बी.ए.एस.एल.पी., एम.एड. (एच.आई.), बी.एड. (एच.आई.), पी.एच.डी.
68.	टोपी वाला राष्ट्रीय चिकित्सा कालेज एवं वी.वाई.एल. नायर अस्पताल, मुम्बई	बी.ए.एम.एस.पी., एम.ए.एस.एल.पी.
69.	एन.आई.एम.एच. पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र, ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. परिसर मुम्बई	डी.एस.ई. (एम.आर.)
70.	माइडस शैक्षिक अनुसंधान कालेज, सेवरी, मुम्बई	बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.) डी.एस.ई. (एम.आर.) डी.एस.ई. (एच.आई.)
71.	केन्द्रीय बधिर अध्यापक संस्थान अगरीपडा, मुम्बई	डी.एस.ई. (एम.आर.)
72.	प्रबोदिनी ट्रस्ट, नासिक	डी.एस.ई. (एच.आई.)
73.	विकलांग पुनर्वास सोसायटी, मिराज	डी.एस.ई. (एच.आई.)
74.	लेफ्ट. जी. एन. सरोज अकादमी, रामदासपेट, नागपुर	

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
75.	मातोश्री स्व. जानकीदेवी अतकर विशेष शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, गीतानगर, नागपुर	डी.एस.ई. (एच.आई.)
76.	मूक एवं बधिर औद्योगिक संस्थान शंकर नगर, नागपुर	डी.एस.ई. (एच.आई.)
77.	अन्ध शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र का पूना स्कूल एवं होम, पूना	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
78.	वी. आर. रुईया मूक बधिर विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, पूना	डी.एस.ई. (एच.आई.)
79.	वाई अक्षर संस्थान, गणपति अली, वाई	डी.एस.ई. (एम.आर.)
80.	तिलक शिक्षा कालेज, पूना	डी.एस.ई. (एच.आई.)
81.	महाराष्ट्र सेवा संघ, नासिक	डी.एस.ई. (एच.आई.)
82.	कामायनी प्रशिक्षण संशोधन सोसायटी गोखले नगर, पूना	डी.एस.ई. (एम.आर.)
83.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, शान्ता क्रुज, मुम्बई	एम.एड. विशेष शिक्षा (एल.डी./एम.आर.) बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.), बी.एड. विशेष शिक्षा, (वी.आई.)
84.	दिलखुश विशेष शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण, जुहू, मुम्बई	डी.एस.ई. (एम.आर.)
85.	हाशु अडवानी विशेष शिक्षा कालेज, चैम्बूर, मुम्बई	बी.एड. (एच.आई.)
86.	पांडुरंग श्यामराव मुलगांवकर कालेज, शिवाजी नगर, पूना	बी.एड. (एच.आई.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
87.	अयोध्या धर्मार्थ ट्रस्ट, विकास नगर, वाहोवाडी गांव, पूना	डी.एस.ई. (एच.आई.)
88.	हेलेन किल्लर मूक बधिर संस्थान, वशी, न्यू मुम्बई	डी.एस.ई. (बधिर अन्ध)
89.	राष्ट्रीय अन्ध संघ, सी फेस, मुम्बई	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
	मणिपुर	
90.	अखिल मणिपुर मानसिक विकलांग व्यक्ति कल्याण संगठन, टॉप लीरक, इम्फाल	डी.एस.ई. (एम.आर.)
	मेघालय	
91.	मोन्टफोर्ट शिक्षा केन्द्र, दानाकगे-तुरा	डी.एस.ई. (एच.आई.), डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
	उड़ीसा	
92.	दृष्टि विकलांगों के शिक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्र, एस.आई.आर.डी. परिसर इकाई 8, भुवनेश्वर	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
93.	चेतना मानसिक विकलांग संस्थान जेविस अन्तर्राष्ट्रीय, ए/3 नयापल्ली, ओबराय होटल के सामने, जिला कटक	डी.एस.ई. (एम.आर.)
94.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओल्टपुर पी. ओ. बेईरोई, जिला कटक	बी.एस.सी. (पी. एंड ओ.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
95.	बधिरों के शिक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार एवं ए.वाई.जे. एन.आई. एच.एच. का संयुक्त उपक्रम, एस.आई. आर.डी. कैम्पस, इकाई, 8, भुवनेश्वर	डी.एस.ई. (एच.आई.)
96.	मुक्त शिक्षण प्रणाली, प्लाट नं. एम-75, सामन्ता विहार, डाकखाना मंचेश्वर रेलवे कालोनी नजदीक नाल्को छाक, भुवनेश्वर	डी.एस.ई. (सी.पी.)
राजस्थान		
97.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक कल्याण विभाग (राजस्थान सरकार) सेठी कालोनी, जयपुर	डी.एस.ई. (एम.आर.)
98.	एल. के. सी. जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगा नगर	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
99.	अनुसंधान अध्ययन एवं श्रवण विज्ञान एवं विकास सोसायटी (आर.ई.ए.डी.एस.) धुंधलोड हाउस सिविल लाइन्स, जयपुर	डी.एस.ई. (एच.आई.)
तमिलनाडु		
100.	सिफलीन कुष्ठ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र कारीगिरी, एस.एल.आर. सैनीटोरियम डाकखाना, जिला वैल्लूर	डी.पी.ओ.ई.

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
101.	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय शिक्षा कालेज, श्रीरामाकृष्ण विद्यालय, डाकखाना कोयम्बटूर	एम.एड. (वी.आई.) बहुश्रेणी विशेष शिक्षा, बी.एड., (वी.आई.) विशेष शिक्षा, सी.बी.आर. में डिप्लोमा
102.	लिटल फ्लॉवर कान्वेंट वरिष्ठ माध्यमिक बधिर स्कूल, 127 जी. एन. चेट्टी रोड, कैथड्ल डाकखाना, चैन्नई	बधिर अध्यापन में कनिष्ठ डिप्लोमा एवं बधिर अध्यापन में वरिष्ठ डिप्लोमा
103.	बधिर क्लार्क स्कूल, साधना नं. 3, तीसरी गली, डा. राधाकृष्णन रोड, मायलापोर, चैन्नई	डी.एस.ई. (एम.आर.)
104.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मार्फत राजकीय अन्ध माध्यमिक स्कूल, पूनममाले, चैन्नई	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
105.	तमिलनाडु स्पास्टिक सोसायटी टी. टी. टी. आई. तारामणी रोड के सामने, चैन्नई	बी.डी.टी.डी.ई.एस.ई. (सी.पी.)
106.	मद्रास इंस्टीट्यूट आफ हैबिलिटेट रीटारडिड एफेलिक्टेड (एम.आई.टी.एच.आर.ए.) 802 आर.वी.नगर, अन्ना नगर, चैन्नई	एम.आर.डब्ल्यू.

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
107.	बाला विहार प्रशिक्षण स्कूल, हाल्स रोड, किलपोक गार्डन, चैन्नई	डी.ई.एस. (एम.आर.)
108.	राजकीय पुनर्वास संस्थान, के.के. नगर, चैन्नई	डी.ओ.पी.ई.
109.	नवज्योति ट्रस्ट, ए-916, पूनममाले हाई रोड, चैन्नई	डी.वी.टी.ई. (एम.आर.)
110.	एस.बी.टी.टी.टी. अन्बगम मानसिक विकलांग बाल संस्थान, अन्बगम ऐक्सटेंशन डी.आर. कालोनी, मदुरै	बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर.)
111.	पुनर्वास विज्ञान विभाग, होली क्रास कालेज, तिरूचिरापल्ली	बी.आर. साइंस, एम.आर. साइंस, डी.एस.ई. (एम.आर.)
112.	क्रिश्चियन चिकित्सा कालेज, डाकखाना थोरापुडी, वैल्लोर	डी.पी.ओ.ई.
113.	अविनाशलिंगम सम-विश्वविद्यालय, महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर	एम.एड. विशेष शिक्षा (वी.आई.) बी.एड. विशेष शिक्षा (वी.आई.) बी.एस.सी. विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास
114.	श्री रामचन्द्र चिकित्सा कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, सम-विश्वविद्यालय, पोरूर, चैन्नई	बी.ए.एस.एल.पी.
115.	वाई.एम.सी.ए.शारीरिक शिक्षा कालेज नन्दम, चैन्नई	चलविज्ञान में स्नातक
116.	शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बाल विद्यालय संस्थान 18, प्रथम क्रास रोड, शास्त्री नगर, चैन्नई	प्री-स्कूल युवा बधिर बच्चों के अध्यापन में डिप्लोमा

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश		
117.	विकलांग केन्द्र, 13, लुकरगंज, इलाहाबाद	एम.आर. डब्ल्यू
118.	उत्तर प्रदेश श्रवण विकलांग संस्थान, 4-7 मालवीय रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद	डी.एस.ई. (एच.आई.)
119.	चेतना (विकलांग कल्याण सोसायटी) सैक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ	डी.एस.ई. (एम.आर.)
120.	बधिर शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, आइसबग, तिलक नगर, लखनऊ	डी.एस.ई. (एच.आई.)
121.	शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान, एम जे पी रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बी.एड. विशेष शिक्षा (एच.आई.), एम.एड. विशेष शिक्षा (एच.आई.)
122.	नववाणी बधिर स्कूल, गांव कोइराजपुर, डाकखाना वाराणसी	डी.एस.ई. (एच.आई.)
123.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मनौविज्ञान विभाग, अलीगढ़	पुनर्वास मनौविज्ञान में पी.ड डिप्लोमा
124.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय, कामछा, वाराणसी	बी.एड. (वी.आई.)
उत्तरांचल		
125.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, 116 राजपुरा रोड, देहरादून	डी.एस.ई. (वी.आई.) सैकण्डरी स्तर
126.	आर. ए. पी. एच. ई. एल., पोस्ट बाक्स 157, देहरादून	डी.एस.ई. (एम.आर.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
पश्चिमी बंगाल		
127.	राष्ट्रीय आर्थोपैडिकली विकलांग संस्थान, बोन-हुगली, वी.टी. रोड, कोलकाता	बी.एस.सी. (पी. एण्ड ओ.)
128.	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सोसायटी गांव व डाकखाना खूजरघिही वाया करवा, जिला वर्धमान	डी.एस.ई. (एम.आर.) पी.जी., डी.एस.ई. (एम.आर.)
129.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, एन आई ओ एच कैम्पस, बोन-हुगली, बी टी रोड, कोलकाता	डी.एस.ई. (एम.आर.)
130.	ए. वाई. जे. एन. आई., एच. एच. पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, एन आई ओ एच, बोन हुगली, बी टी रोड, कोलकाता	बी. एड. (एच.आई.), डी.एस.ई. (एच.आई.), बी.ए.एस.एल.पी.
131.	भारतीय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पूर्वी भारत की स्पैस्टिक सोसायटी, पी-35/1, ताराटोला रोड, कोलकाता	विशेष शिक्षा में पी.जी. डिप्लोमा (बहुत अशक्तता शारीरिक एवं तंत्रिका विज्ञान संबंधी)
132.	रामकृष्ण मिशन ब्लिंक बाल अकादमी, नरेन्द्रपुर	डी. एस. ई. (वी.आई.) सैकण्डरी स्तर
133.	मनोविकास केन्द्र, विकलांगों के लिए पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान 482, मधुदाह प्लाट 1-24, सैक्टर-जे पूर्वी, मैट्रोपालिटीन बाई पास, कोलकाता	डी.एस.ई. (एम.आर.)

क्रम सं.	संस्था का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम
134.	विवेकानन्द मिशन आश्रम, विवेक नगर, डाकखाना चैतन्यपुर, हल्दिया, जिला मिदनापुर	डी.एस.ई. (वी.आई.) प्राथमिक स्तर
135.	बधिरों के अध्यापकों का प्रशिक्षण कॉलेज 293, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कोलकाता	डी.एस.ई. (एच.आई.)
136.	आर.ई.ए.सी. एच.18/2/ए/3, उदयशंकर सरानी, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता	विशेष शिक्षा में पी.जी. डिप्लोमा (बहुत अशक्तता शारीरिक एवं तंत्रिका विज्ञान संबंधी)
137.	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग कोलकाता विश्वविद्यालय, राशबिहारी शिक्षा प्रांगण, 92, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कोलकाता	पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
138.	अल्केन्दू बोध निकेतन आवासीय स्कूल, पी-1/4/1, सी.आई.टी. स्कीम-7, एम.वी. आई.पी. रोड, कन्कुरगांची, कोलकाता	डी.एस.ई. (एम.आर.)
139.	वाणी एवं श्रवण संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र (एस.एच.आई.आर.सी.) राज्य संसधान केन्द्र, एच.आई. 10 मंडेविले गार्डन, कोलकाता	प्री-स्कूल युवा बधिर बच्चों के अध्यापन हेतु डिप्लोमा
140.	वी.ई. मानव शान्ति मिशन, शासन रोड विश्वासपुरा, डाकखाना बरूईपुर, 24 परगना	डी.एस.ई. (एम.आर.)

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ मोड द्वारा बी.एड. विशेष शिक्षा आरम्भ की गई। प्रवेश के लिए एम पी वी ओ यू बेवसाइट देखें।

www.bhojvirtualuniversity.com

संक्षिप्तियां

एम.आर. डब्ल्यू.	बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम
सी.बी.आर. में डिप्लोमा	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा
डी.वी.टी.ई. (एम.आर.)	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं नियोजन (मानसिक मन्दता में डिप्लोमा)
डी.एच.एल.एस.	श्रवण, भाषा एवं वाणी में डिप्लोमा
डी.पी.ओ.ई.	प्रौस्थटिक एवं आर्थोटिक्स में डिप्लोमा
डी.एस.ई. (एच.आई.)	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (श्रवणहीनता)
डी.एस.ई. (एम.आर.)	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मन्दबुद्धि)
डी.एस.ई. (वी.आई.)	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (दृष्टिहीनता)
बी.डी.टी.	प्रमास्तिष्कीय पक्षाघात एवं तंत्रिका सम्बन्धी विकलांगता वाले बच्चों का मूल विकास चिकित्सा पाठ्यक्रम
बी.एड. (एम.आर.)	विशेष शिक्षा में स्नातक (मन्दबुद्धि)
बी.एड. (विशेष शिक्षा) (एच.आई.)	विशेष शिक्षा में स्नातक (दृष्टिहीनता)
बी.एड. (विशेष शिक्षा) एच.आई.	विशेष शिक्षा में स्नातक (श्रवणहीनता)
बी.एड. (विशेष शिक्षा) एम.सी.	विशेष शिक्षा में स्नातक (बहु श्रेणी)

बी.आर.एस. (एम.आर.)	पुनर्वास सेवाओं में स्नातक (मन्द बुद्धि)
बी.एस.सी. (पी.एंड ओ.)	विज्ञान स्नातक प्रौस्थीटिक एवं आर्थोटिक्स
बी.ए.एस.एल.पी.	श्रवण वाणी भाषा विकृति विज्ञान में स्नातक
बी.आर.एस.सी.	पुनर्वास विज्ञान में स्नातक
एम.आर.एस.सी.	पुनर्वास विज्ञान में स्नातकोत्तर
एम.एड. (एच.आई.)	विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर (श्रवणहीनता)
एम.एड. (वी.आई.)	विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर (दृष्टिहीनता)
एम.एड. (एम.आर.)	विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर (मन्दबुद्धि)
पी.जी.डी.डी.आर.	पुनर्वास विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पी.जी.डी.एस.ई.	विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा मन्दबुद्धि

विकलांगों के विशेष रोजगार कार्यालयों एवं विशेष प्रकोष्ठों की सूची

विशेष रोजगार कार्यालय	*विशेष प्रकोष्ठ*
आंध्र प्रदेश	
हैदराबाद	विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा
आसाम	
गुवाहाटी	
बिहार	
पटना	माराफारी बोकारो
गुजरात	
अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत	
हरियाणा	
चण्डीगढ़	महेन्द्रगढ़, सोनीपत
हिमाचल प्रदेश	
शिमला	धर्मशाला
कर्नाटक	
बालासोर, मैसूर, हुबली, गुलबर्ग	तुम्कूर
केरल	
त्रिवेन्द्रम, कोझीकोडे, कोल्लम इरनाकुलम	पालाकड, नयातीनकरा, नेडूमंगड, कायमकुलम अलुवा इरीनजाकुडा
मध्य प्रदेश	
जबलपुर	बिलासपुर, दुर्ग, देवास, रीवा
महाराष्ट्र	
मुम्बई	नासिक, शोलापुर, कोल्हापुर

मणिपुर	
इम्फाल	
मेघालय	
शिलांग	
नागालैंड	
कोहिमा	
उड़ीसा	
भूवनेश्वर	
राजस्थान	कोटा, झुंझनु, सीकर
जयपुर, अजमेर, अलवर	श्रीगंगानगर
तमिलनाडु	
मद्रास	कोयम्बटूर, चिंगलपेट, कुडालोर, सलेम तिरूनवेली, वैल्लौर, चिडाबरम (तंजौर), पवियार (इरोड), उथागमंडलम
त्रिपुरा	
अगरतला	
पंजाब	
लुधियाना	
उत्तर प्रदेश	कानपुर, गोरखपुर, अलीगढ़,
इलाहाबाद, आगरा, बनारस,	बरेली, लखनऊ, मथुरा, गाजियाबाद
पश्चिम बंगाल	बैरकपुर, हावड़ा, पुरूलिया
कोलकाता	खड़गपुर
दिल्ली	
कर्जन रोड	

विकलांगों के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

वी.आर.सी.,
अभय नगर, अगरतला,
त्रिपुरा-799005
फोन-0381-225632

वी.आर.सी.
आई टी आई कैम्पस
अहमदाबाद-382340
फोन-079-2811629,
फैक्स-079-2822486

वी.आर.सी., होसूर रोड,
बंगलौर-560029
फोन-080-6564995

वी.आर.सी.,
एस.आई.आर.डी. कैम्पस,
इकाई-8, भूवनेश्वर-751012
फोन-0674-560375
फैक्स-0674-450800

वी.आर.सी., 38, बडलराय लेन
वलियाघाट, कोलकाता-700010
फोन-033-3508146
फैक्स-033-3378358

वी.आर.सी., नैपियर टाउन
नए मोटर स्टैण्ड एवं नवभारत
प्रैस के नजदीक
जबलपुर-482001
फोन-0761-405581
फैक्स-0761-39016

वी.आर.सी., 45-ए/23
जवाहर नगर,
जयपुर-302004
फोन-0141-652232
फैक्स-0141-200072

वी.आर.सी.,ए.टी.आई.
कैम्पस गोविन्द नगर, कानपुर-208022
फोन-0532-296005

वी.आर.सी.,
ए.टी.आई. कैम्पस,
अरोरा टाकिज के नजदीक,
लुधियाना-141003
फोन-0161-490883
फैक्स-1061-491871

वी.आर.सी.
ए.टी.आई. कैम्पस, सियान
मुम्बई-400022
फोन-022-5221707
फैक्स-022-5221560

वी.आर.सी.,
वॉली हाउस के सामने,
नोनान कुप्पम,
पाण्डीचेरी-605007
फोन नं.-0413-26020221

वी.आर.सी.,
टी आई कैम्पस, गुण्डई,
चैन्नई-60002
फोन-044-2341534

वी.आर.सी.,
पुराना आई टी आई कैम्पस,
गुवाहाटी-781008
फोन-0361-543776

वी.आर.सी.,
ए.टी.आई. कैम्पस,
विद्यानगर
हैदराबाद-500007
फोन-0401-7614381
फैक्स-0401-7614606

महिलाओं के लिए वी.आर.सी.
महावीर औद्योगिक इस्टेट,
करेली बोग, वडोदरा-390018
फोन-0265-553674
फैक्स-0265-430510/430362

वी.आर.सी.,
रोटरी चौक के नजदीक,
मोहाला बाग माता जी,
ऊना-174303
फोन नं.-01975-202222

वी.आर.सी.,
प्लाट नं. 9, 10, 11,
कड़कड़डूमा, विकास मार्ग, दिल्ली

वी.आर.सी.,
ए/84, प्लाट-1, गांधी विहार,
पुलिस कालोनी, अनिसाबाद,
पटना-2
फोन-0612-250213

वी.आर.सी., नलनचिरा,
त्रिवेन्द्रम-695015
फोन-0471-531175

वी.आर.सी.,
के. जी. मार्ग,
पोलिटेक्नीक कैम्पस, गोगली बाग,
श्री नगर-190008
फोन नं.-0194-2310144

सलेक्टेड वी.आर.सी. के साथ जुड़े हुए ग्रामीण पुनर्वास एक्सटेंशन केन्द्र

कोलकाता (वारासट, उल्लूबेरिया)

चैन्नई (त्रिवैल्लेर, चिथामूर)

कानपुर (मोहनलालगंज, गोसाईगंज, अकबरपुर)

लुधियाना (होशियारपुर, भटिण्डा) एवं

मुम्बई (भिवांडी, धहानू)

कुल संख्या 11 है

जिला पुनर्वास केन्द्रों की सूची

1. जिला पुनर्वास केन्द्र,
   कैपिटल अस्पताल कैम्पस, 6
   भुवनेश्वर-751001
   फोन-0674-4078803

2. जिला पुनर्वास केन्द्र, खड़गपुर,
   जिला मिदनापुर,
   पश्चिम बंगाल-721301
   फोन-0322-62427/62894

3. जिला पुनर्वास केन्द्र,
   लाल बाग़ राजा कालेज मैदान के पास
   शाहजहापुर रोड, सीतापुर
   फोन-05862-3283

4. जिला पुनर्वास केन्द्र,
   नर्स छात्रावास के सामने,
   सरदार पटेल अस्पताल कैम्पस,
   बिलासपुर-495001
   फोन-07752-30823

5. जिला पुनर्वास केन्द्र,
   पहली मंजिल, लॉण्डरी अनुभाग,
   सिविल अस्पताल,
   भिवानी-125021
   फोन-01664-3075

6. जिला पुनर्वास केन्द्र,
   कमरा नं.-10, तीसरी मंजिल,
   विकास भवन, सुलतानपुर,
   उत्तर प्रदेश-227809
   फैक्स-0563-22317

7. जिला पुनर्वास केन्द्र,
जी.एस.टी रोड, कोर्ट के नजदीक,
चैंगलपेट्टु-603001, मद्रास
फोन-04114-6853

8. जिला पुनर्वास केन्द्र,
पुलीकेशी रोड, राजकीय बाल अन्ध स्कूल परिसर,
तिलक नगर, मैसूर-570021
फोन-0821-447670

9. जिला पुनर्वास केन्द्र, खरोडी नाका बोलीज,
अगासी रोड, तहसील वसाई, जिला थाने,
फोन-0252-382735

10. जिला पुर्नवास केन्द्र,
एम.बी.एस. अस्पताल परिसर,
कोटा-324001
फोन-0744-320891

11. जिला पुनर्वास परिसर,
प्रबोध बुक सैन्टर के सामने,
गोपाल रेड्डी रोड, गर्वनर पेट,
स्टेट गैस्ट हाउस कैम्पस,
विजयवाड़ा-520002
फोन-0866-579646

दस जिला पुनर्वास केन्द्रों के द्वारा कार्यान्वित डी.डी.आर.सी.

क. जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा

1. डी.डी.आर.सी., कृष्णा,
मार्फत डी.आर.सी. विजयवाड़ा,
प्रबोध बुक सेन्टर के सामने,
गोपाल रेड्डी रोड, गर्वनर पेट,
स्टेट गैस्ट हाउस कैम्पस, विजयवाड़ा-520002

2. डी. डी. आर.सी., अनन्तपुर,
श्री दशरथ, निदेशक,
महिला विकास न्यास, अनन्तपुर

3. डी.डी.आर.सी., विशाखापट्टनम,
रानी चन्द्रावती अस्पताल,
विशाखापटट्नम

ख. जिला पुनर्वास केन्द्र, बिलासपुर

4. डी.डी.आर.सी., रायपुर,
माना कैम्प, बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों का गृह परिसर,
रायपुर, छतीसगढ़

5. डी.डी.आर.सी. दुर्ग,
भौतिक चिकित्सा पायलट परियोजना,
जिला अस्पताल, दुर्ग,
छत्तीसगढ़

6. डी.डी.आर.सी., रायगढ़,
छोटे अतरमुडा,
जिला पंचायत भवन के नजदीक,
रायगढ़, छत्तीसगढ़

ग. जिला पुनर्वास केन्द्र, भूवनेश्वर

7. डी.डी.आर.सी., सम्बलपुर,
मार्फत कार्याकारी महिला हॉस्टल,
सम्बलपुर, उड़ीसा

8. डी.डी.आर.सी., मयूरगंज,
बी डी ओ कार्यालय,
मार्फत बी डी ओ, कालाहण्डी,
उड़ीसा

9. डी.डी.आर.सी., कालाहण्डी,
मार्फत बी डी ओ कार्यालय परिसर
बी डी ओ, कालाहण्डी,
उड़ीसा

घ. जिला पुनर्वास केन्द्र, चंगलपेट्टु

10. डी.डी.आर.सी., चंगलपेट्टु,
जिला पुनर्वास केन्द्र,
जी. एस. टी. रोड, कोर्ट के नजदीक,
चंगलपेट्टु-633001, तमिलनाडु

11. डी.डी.आर.सी., वैल्लोर,
पेरूमलसामीभवन,
जिला पंचायत बोर्ड कार्यालय,
वैल्लोर

12. डी.डी.आर.सी., पोर्ट ब्लेयर

13. डी.डी.आर.सी., पांडिचेरी,
मि.डी. बालाकृष्णन,
जिला पुनर्वास केन्द्र,
जी.एस.टी. रोड, कार्ट के निकट,
चंगलपेट्टु-603001
तमिलनाडु

ङ जिला पुनर्वास केन्द्र, विरार

14. डी.डी.आर.सी., लातूर,
जीवन विकास प्रतिष्ठान, सिगनल कैंम्प,
लातूर-12

15. डी.डी.आर.सी., डियु,
दिव गार्मेंट भवन, फुदभ,
जिला डियू

16. डी.डी.आर.सी., सिलवासा,
दादर एवं नगर हवेली,
बाल भवन के सामने, सिलवासा-30

च. जिला पुनर्वास केन्द्र, मैसूर

17. डी.डी.आर.सी., वैल्लरी,
वी.आई.एम.एस. कैम्पस,
पुराना बुक बैंक भवन,
बैल्लरी-583104

18. डी.डी.आर.सी., बेलगम,
ओ.पी.डी. ब्लाक के नजदीक,
बेलगाम-590001

19. डी. डी. आर. सी., मंगलौर,
छटा क्रास नं. 24/5/568, अट्टावनरा
एम सी अस्पताल के पीछे,
दक्षिण कन्नड़,
जिला मंगलौर-1

20. डी. डी. आर. सी., तुमकुर,
जिला सामान्य अस्पताल परिसर,
तुमकुर-572101

छ. जिला पुनर्वास केन्द्र, सीतापुर

21. डी. डी. आर. सी., मेरठ,
श्रमजीवी महिला छात्रावास, सूरजकुण्ड,
मेरठ

22. डी. डी. आर. सी., आगरा,
सरस्वती मंगल, रेड क्रास अस्पताल,
नगल बुद्ध, आगरा

ज. जिला पुनर्वास केन्द्र, जगदीशपुर

23. डी. डी. आर. सी., वाराणसी,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल कैम्पस,
पांडेयपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

24. डी. डी. आर. सी., घोंडा,
महाराजगंज, जिला घोंडा, यू.पी.

25. डी. डी. आर. सी., मउ,
पुराना सदन अस्पताल,
जिला मउ, यू.पी.

26. डी. डी. आर. सी., गौरखपुर,
क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान,
छरगवा, जिला गोरखपुर, यू.पी.

झ. जिला पुनर्वास केन्द्र, भिवानी

27. डी. डी. आर. सी., भिवानी,
सामान्य अस्पताल, भिवानी-127021

28. डी. डी. आर. सी., सोनीपत,
बाल भवन बिल्डिंग,
सोनीपत, हरियाणा

29. डी. डी. आर. सी., कुरूक्षेत्र
रैड क्रास भवन, कुरूक्षेत्र,
हरियाणा

30. डी. डी. आर. सी., रोहतक,
रैड क्रास भवन, रोहतक.

त. जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा

31. डी. डी. आर. सी., अजमेर

32. डी. आर. सी., जोधपुर

33. डी. आर. सी., बीकानेर

34. डी. आर. सी., झुंझनू

शारीरिक विकलांगों के विशेष रोजगार कार्यालयों के पतों की सूची राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत

विशेष रोजगार कार्यालय उस कार्यालय या स्थान का जिसे निम्नलिखित व्यक्तियों सम्बन्धी जानकारी रजिस्टर बनाकर या अन्य किसी तरीके से एकत्र करने एवं प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं :

1. वे व्यक्ति जो विकलांग व्यक्तियों में से कर्मचारी रखना चाहते हैं।
2. रोजगार चाहने वाले विकलांग व्यक्ति।
3. ऐसे पद जिसे रोजगार चाहने वाले अशक्त व्यक्तियों से भरा जाना हो।

क्रं. सं. विशेष रोजगार कार्यालयों का नाम एवं पता

1. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, आजमबाद, हैदराबाद-500020
2. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, बैरक सं. 1/बी-5, ब्लाक ए, कर्जन रोड, नई दिल्ली-110001
3. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय नं. 5, कसैन्ट रोड, हाई ग्राउण्ड्स, पश्चिम बंगलौर-560020
4. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मर्केंटाइल चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, ग्राहम रोड, बलारड एस्टेट, मुम्बई-40001
5. सहायक निदेशक, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 33, माउंट रोड, नन्दंम, चैन्नई-600035
6. विशेष रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 5 कोंसिल हाउस स्ट्रीट, भूतल 620, डी. एच. रोड, कोलकाता-700001

7. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जी. टी. रोड, कानपुर-208002

8. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नंदावनम रोड पलावम, तिरूवन्नतपुरम, केरल-695001

9. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 985, राइट टाउन, जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश

10. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, संयुक्त श्रम भवन, बैले रोड, पटना-800001, बिहार

11. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय 1282, सैक्टर 18-सी, चण्डीगढ़, 160018

12. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय, हिमाचल प्रदेश स्टाक पैलेस, शिमला-171002

13. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जयपुर- 302001, राजस्थान

14. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, रोजगार निदेशालय, फ्लैट सं. 367, शाहिद नगर, भुवनेश्वर-751007, उड़ीसा

15. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गुवाहटी, असम

16. रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा

17. शारीरिक विकलांगों के लिए उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, कोठी बिल्डिंग, बडौदरा, गुजरात

18. शारीरिक विकलांगों के लिए उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, बहुमंजिला भवन, ननपुरा, सूरत, गुजरात

19. शारीरिक विकलांगों के लिए उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, बहुमंजिला भवन, ननपुरा, सूरत, गुजरात

20. विशेष रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांग विशेष रोजगार कार्यालय, सलजोस क्रास रोड, एस. वी. कालेज के सामने, अहमदाबाद-380001

21. निदेशक, शारीरिक विकलांग रोजगार कार्यालय, मणिपुर, इम्फाल

22. विशेष रोजगार अधिकारी, शारीरिक विकलांग विशेष रोजगार कार्यालय, 1282, सैक्टर 18-सी, चण्डीगढ़ (पंजाब सरकार)-1600018

23. रोजगार निदेशक, शारीरिक विकलांग विशेष रोजगार कार्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

MGIPRRND—275DGET/06—20,750 Copies.

©

Govt. of India
Controller of Publications

PDGET. 377
20750—2006 (DSK-II)

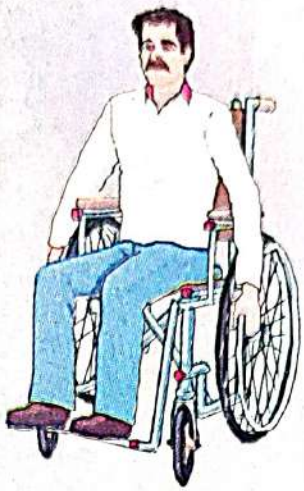

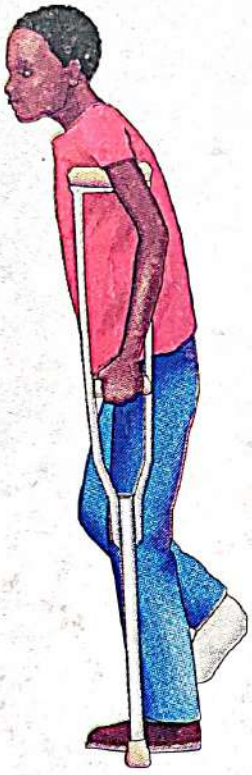

Price { Inland : Rs. 70.00
Foreign : $ 1.51 £ 0.87

Printed By :
The Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi
and Published by The Controller of Publications, Delhi, 2006